74

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
नई दिल्ली।

OA 281/2024
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench
नई दिल्ली / New Delhi
23 MAY 2025 2268
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
डायरी सं. / Diary No.
हस्ताक्षर / Signature

संख्या– 449 /21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2025 पौड़ी दिनांक मई 19, 2025

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

—

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0– 321/21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024–25 दिनांक 08–01–2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05–12–2024 को पारित आदेश जिसके द्वारा विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रेषित की गई है।

2– उक्त सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25–03–2025 को आदेश पारित किया गया, जिसमें नगर आयुक्त, नगर निगम पौड़ी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05–12–2024 को पारित आदेश का अनुपालन न करने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांक 05–12–2024 का अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय पत्र सं0– 218/21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 दिनांक 19–04–2025 के द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसके कम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अपना प्रत्युत्तर पत्र सं0– 127/एन0जी0टी0–2024/2025–26 दिनांक 19–04–2025(छाया प्रति संलग्न)प्रस्तुत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा पत्र सं0– 382/NGT 281-2024/2025–26 दिनांक 15–05–2025 के द्वारा आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया है किः–

विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 25/03/2025 को आदेश हुआ था। इस पर मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 25/03/2025 के कम मे पालिका द्वारा अनुपालन निम्नवत है।

| क0 | मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश | दिनांक 25/03/2025 के बिन्दु | पालिका स्तर का अनुपालन कथन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25/3/2025 | आदेश का बिन्दु न. 01 | मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा कमेटी की आख्या जो जिलाधिकारी पौडी द्वारा परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को भेजी गयी है उसे प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। रिपोर्ट मे अनुपालन किये जाने की आख्या दी गयी है। |
| 2 | | | अनुपालन आख्या आयुक्त, नगर निगम पौडी से चाही गयी है जबकि पौडी एक नगर पालिका है और यहाँ नगर आयुक्त न होकर अधिशासी अधिकारी नियुक्त होते है। प्रकरण की |

(75)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **आदेश का बिन्दु न. 02** | **अनुपालन आख्या अधिशासी अधिकारी एवम अन्य कमेटी सदस्यों के साथ हस्ताक्षरित कर भेजी गयी है जिसे जिलाधिकारी पौडी द्वारा बिन्दु न0 01 के अनुसार भेजा गया है।** |
| **3** | | **आदेश का बिन्दु न. 03** | **मा0 अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश बिन्दु न0 02 के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। पालिका पौडी नगर निगम न होने के कारण संयुक्त रूप से अधिशासी अधिकारी द्वारा ही अनुपालन आख्या भेजी गयी है।** |
| **4** | | **आदेश का बिन्दु न. 04** | **पालिका पौडी द्वारा पूर्व मे अनुपालन आख्या भेजी गयी है। पुनः पालिका के सम्मानित अधिवक्ता के माध्यम से अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गयी है।** |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25/03/2025 के पारित आदेश होने के पश्चात भी उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय पत्र सं0 17202/21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0) 2024 दिनांक 11 दिसम्बर 2024 के कम में पालिका के पत्र सं0 994/NGT-SWM/2024–25/ दिनांक 13 दिसम्बर 2024 के द्वारा बिन्दुवार साक्ष्यों सहित आख्या भेजी जा चुकी है। पुनः उपरोक्त आदेश के कम में कार्यालय पत्र सं0–388/21–प्रशा0अधि0 (स्था0नि0) 2024 दिनांक 17 दिसम्बर 2024 के द्वारा चाही गयी आख्या पालिका के कार्यालय पत्र सं0 1078/न0पा0प0/पौड़ी दिनांक 03 जनवरी 2025 के द्वारा भेजी गयी, जिसे कार्यालय पत्र सं0 32121/प्रशा0 अधि0(स्था0नि0) 2024 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी है।

**अब वर्तमान में कार्यालय पत्र सं0 255/21–प्रशा0 अधि0/स्था0 नि0/2024 दिनांक 09 मई 2025 के द्वारा अद्यतन आख्या चाही गयी है, मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन संख्या 123/2024 के मूल आवेदन सं0 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/03/2025 के कम में पालिका के वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड एवं S.W.M के अन्तर्गत अन्य कार्य किये गये हैं, जिसकी अद्यतन आख्या निम्नवत है:–**

(1)– ट्रेचिंग ग्राउण्ड एक ढालदार भूमि है पूर्व में गार्बेज को मुख्य मार्ग के किनारे से ही डाला जाता था। वर्तमान में ऊपर से मुख्य भाग से ढालदार भूमि के सबसे निचले भाग के बीच में एक कच्ची सडक को बनाकर गार्बेज को डाला जा रहा है और कच्ची सडक पर ही अवशेष गार्बेज सैग्रीगेशन का कार्य अनुबन्धित ऐजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है। **(वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड से सम्बधित फोटो संलग्न)**

(2)– नगर के सभी 11 वार्डों के फैश गार्बेज के एकत्रीकरण के लिये एक प्राईवेट ऐजेन्सी को अनुबन्धित किया गया है। **(अनुबन्ध छायाप्रति संलग्क)**। अनुबन्धित ऐजेन्सी के द्वारा मुख्य मार्गों पर 04 वाहनों से जिसमे जिंगल बजाये जाते है कूड़ा एकत्र किया जाता है तथा इस पर्वतीय क्षेत्र की पालिका के पगडण्डी मार्गों पर महिला कार्मिकों के माध्यम से कूडा एकत्र किया जाता है। **(वाहनों से तथा महिला कार्मिकों के द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण करने के फोटोग्राफ संलग्न) ।**

(3)– पालिका के कार्मिकों के द्वारा स्ट्रीट सफाई से कूडा एकत्रीकरण के स्थलों पर भी गार्बेज सैग्रीगेशन किया जा रहा है। **(फोटोग्राफ संलग्क)**। ट्रेचिंग ग्राउण्ड तथा अस्थायी कूडा स्थलों से जो ड्राई गार्बेज निकाला जाता है उसको कम्पैक्टर करने तथा विकय किये जाने हेतु एक कम्पनी को हायर किया गया है। **(कार्यादेश छायाप्रति संलग्न)**। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आये है। इस व्यवस्था के कायम होने से एक तो ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर काफी कम मात्रा मे गार्बेज जा रहा है द्वितीय पालिका का काफी मात्रा में गार्बेज शहर से बाहर रिसाईकिलिंग के लिये भेजा जाने लगा है। **(कम्पैक्टर से सिल्लियां बनाये जाने की फोटोग्राफ संलग्न)**

(4)– पालिका द्वारा हायर की गयी ऐजेन्सी के द्वारा माह दिसम्बर से अप्रैल 2025 तक कुल रू0 2,35,440/– का ड्राई गार्बेज विकय किया गया है। ट्रांसपोटेशन का व्यय के पश्चात् कम्पनी को रू0 1,77,440/– का शुद्व लाभ हुआ है और 19,620 कि0ग्रा0 ड्राई गार्बेज रिसाईकिलिंग के लिये शहर से बाहर गया है।

(5)– ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर ऐजेन्सी को हर समय मुस्तैद रहने के साथ–साथ साफ–सफाई के निर्देश दिये गये है तथा कीटनाशक का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है। **(फोटोग्राफ संलग्न)**

(6)– ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लीगेसी वेस्ट को कम्पनी के कार्मिकों के द्वारा फ्रैश वेस्ट के साथ–साथ काफी मात्रा में मैनवल सेग्रिगेट कर लिया गया है। अवशेष लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के पश्चात संशोधित डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड की आपत्ति के पश्चात जनपदीय तकनीकी समिति पौडी से स्वीकृति करवाकर पालिका के पत्र सं0 360/लीगेसी वेस्ट/2025–26 दिनांक 13 मई, 2025 के द्वारा शहरी विकास निदेशालय देहरादून को भेजी गयी है। **(डी0पी0आर0 तथा पत्र छायाप्रति संलग्न)**। शासन से स्वीकृति तथा धनावंटन होने पर अवशेष लीगेसी वेस्ट का निस्तारण यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

(7)– पालिका द्वारा E-Waste के एकत्रीकरण के लिये एक स्टोर की व्यवस्था करते हुये वहॉ पर साईन बोर्ड तथा कार्मिक तैनात किया गया है **(फोटोग्राफ संलग्न)**। शहर के सभी कार्यालय में पालिका के पत्र सं0 286/ई–वेस्ट/2025–26 दिनांक मई 06, 2025 के माध्यम से ई–वेस्ट को पालिका के स्टोर मे दिये जाने हेतु सूचना दी गयी है। **(पत्र की फोटोग्राफ संलग्न)**।

(8)– मा0 एन0जी0टी0 के पूर्व के आदेशों के कम में उस अवधि तक के कार्यों के सत्यापन के लिये सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून के पत्र सं0 यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा0–183–788/2024/1328 दिनांक 11.12.2024 के कम में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 नियन्त्रण बोर्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या में पालिका के किये गये कार्यों की पुष्टि की गयी है। **(निरीक्षण रिपोर्ट छायाप्रति संलग्न)** ।

(9)– पालिका द्वारा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षरित आख्या पत्र सं0 503/न0पा0प0/2024–25/पौड़ी दिनांक 24 अगस्त 2024 के द्वारा तथा वर्तमान अधिशासी अधिकारी के पत्र सं0 994/NGT-SWM/2024–25/दिनांक 13 दिसम्बर 2024, पत्र सं0 1078/न0 पा0प0/पौड़ी दिनांक 03 जनवरी 2025 तथा पत्र सं0 127/ NGT 281-024 /2025–26 दिनांक 19 अप्रैल 2025 के द्वारा अनुपालन आख्या भेजी गयी है। **(साक्ष्य संलग्न)**।

(10)– यह भी अवगत कराना है कि ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कम से कम कूडा जाये, इसके लिये गीले कूडे जैसे सब्जियों आदि के लिये एक पृथक से सब्जी– एकत्रीकरण– वाहन शाम की शिफ्ट में चलाया जा रहा है और इसे पालिका के गौशाला में ले जाया जाता है इसके अच्छे परिणाम यह आये है कि अब इस प्रकार का वेस्ट नालियॉ आदि मे नहीं जा रहा है।

(11)– पालिका द्वारा प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करे, जिंगल द्वारा जागरूकता के साथ–साथ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है।

(12)– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 25/03/2025 के बिन्दु 01 में अनुपालन आख्या की प्राप्ति स्वीकार की गयी है पुनः अद्यतित अनुपालन उपरोक्तानुसार आख्या भेजी जा रही है। बिन्दु न0 2 में नगर पालिका परिषद पौडी को नगर निगम का संज्ञान लिये जाने पर भ्रम की स्थिति बनी है जिसके कारण बिन्दु न0 03 पर प्रतिकूल आदेश हुये है, जबकि कमेटी की संयुक्त आख्या जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून, संयुक्त मजिस्ट्रेट पौडी, प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौडी के साथ–साथ नगर पालिका परिषद पौडी के भी हस्ताक्षर हैं। जिसे जिलाधिकारी पौडी ने अपने पत्र स0 321/21–प्रशा0अधि0/स्था0नि0/2024–25 दिनांक 08/01/2025 के द्वारा परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को भेजा गया है, और मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इसे प्राप्त होना स्वीकार किया गया है।

(13)– यह कि यह वाद दिनांक 17.09.2023 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में श्री किशोर बहुगुणा निवासी तिमली गॉव, पौडी के द्वारा योजित कराया गया है उस समय पालिका में श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी पद पर तैनात थे। यह कि वाद योजन के समय तैनात तत्कालीन अधिशासी अधिशासी का स्थानान्तरण नगर निगम देहरादून में होने पर दिनांक अक्टूबर 2024 को मेरा स्थानान्तरण नगर पालिका परिषद पौडी में हुआ है। यह कि उक्त अवधि से वर्तमान अवधि तक 30 दिन की शहरी निकाय आचार संहिता भी कायम रही है।

77

(14)– यह भी अवगत कराना है कि पालिका द्वारा इस प्रकरण में आदेश के बिन्दु न0 2 में पालिका का पक्ष रखे जाने हेतु सम्मानित अधिवक्ता को नियुक्त कर वकालतनामा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल कर दिया गया है तथा पालिका का प्रत्युत्तर भी तैयार कर ऑनलाईन दाखिल किया जा रहा है। **(साक्ष्य संलग्न)** ।

अतः अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या महोदय की सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

**संलग्नकः**– यथोक्त

भवदीय

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– परामर्शदाता(न्यायिक), राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

(78) R-12-2471 04/43C

# ।। कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी।।

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या 382 / NGT 281-2024/2025–26 दिनांक मई, 15 2025 15/5/25

सेवा में,

जिलाधिकारी
पौडी

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित वाद सं0 / 2924 मूल आवेदन सं0 281 / 2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड में अद्यतित अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0 255 / 21–प्रशा0अधि / स्था0नि0 / 2024 दिनांक 09 मई 2025 के सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 25 / 03 / 2025 को आदेश हुआ था। इस पर मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 25 / 03 / 2025 के कम मे पालिका द्वारा अनुपालन निम्नवत है।

| क0 | मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश | दिनांक 25 / 03 / 2025 के बिन्दु | पालिका स्तर का अनुपालन कथन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25 / 3 / 2025 | आदेश का बिन्दु न. 01 | मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा कमेटी की आख्या जो जिलाधिकारी पौडी द्वारा परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को भेजी गयी है उसे प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। रिपोर्ट मे अनुपालन किये जाने की आख्या दी गयी है। |
| 2 | | आदेश का बिन्दु न. 02 | अनुपालन आख्या आयुक्त, नगर निगम पौडी से चाही गयी है जबकि पौडी एक नगर पालिका है और यहाँ नगर आयुक्त न होकर अधिशासी अधिकारी नियुक्त होते है। प्रकरण की अनुपालन आख्या अधिशासी अधिकारी एवम अन्य कमेटी सदस्यों के साथ हस्ताक्षरित कर भेजी गयी है जिसे जिलाधिकारी पौडी द्वारा बिन्दु न0 01 के अनुसार भेजा गया है। |
| 3 | | आदेश का बिन्दु न. 03 | मा0 अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश बिन्दु न0 02 के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। पालिका पौडी नगर निगम न होने के कारण संयुक्त रूप से अधिशासी अधिकारी द्वारा ही अनुपालन आख्या भेजी गयी है। |
| 4 | | आदेश का बिन्दु न. 04 | पालिका पौडी द्वारा पूर्व मे अनुपालन आख्या भेजी गयी है। पुनः पालिका के सम्मानित अधिवक्ता के माध्यम से अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गयी है। |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25 / 03 / 2025 के पारित आदेश होने के पश्चात भी उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 17202 / 21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0) 2024 दिनांक 11 दिसम्बर 2024 के कम में पालिका के पत्र सं0 994 / NGT-SWM / 2024–25 / दिनांक 13 दिसम्बर 2024 के द्वारा बिन्दुवार साक्ष्यों सहित आख्या भेजी जा चुकी है। पुनः उपरोक्त आदेश के कम में जिलाधिकारी पौडी के पत्र स0 388 / 21–प्रशा0अधि0 (स्था0नि0) 2024 दिनांक 17 दिसम्बर 2024 के द्वारा चाही गयी आख्या पालिका के कार्यालय पत्र सं0 1078 / न0पा0प0 / पौड़ी दिनांक 03 जनवरी 2025 के द्वारा भेजी गयी, जिसे जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 32121–प्रशा0 अधि0(स्था0नि0) 2024 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी है।

15/5/025

(79)

**अब वर्तमान में जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 255/21–प्रशा0 अधि0/स्था0 नि0/2024 दिनांक 09 मई 2025 के द्वारा अद्यतन आख्या चाही गयी है, मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन संख्या 123/2024 के मूल आवेदन सं0 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/03/2025 के कम में पालिका के वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड एवं S.W.M के अन्तर्गत अन्य कार्य किये गये हैं उनकी अद्यतन आख्या निम्नवत है।**

(1)– ट्रेचिंग ग्राउण्ड एक ढालदार भूमि है पूर्व में गार्बेज को मुख्य मार्ग के किनारे से ही डाला जाता था। वर्तमान में ऊपर से मुख्य भाग से ढालदार भूमि के सबसे निचले भाग के बीच में एक कच्ची सडक को बनाकर अब कच्ची सडक से ही गार्बेज को डाला जा रहा है और कच्ची सडक पर ही अब शेष गारबेज सैग्रीगेशन का कार्य अनुबन्धित ऐजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है। **(वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड से सम्बधित फोटो संलग्न)**

(2)– नगर के सभी 11 वार्डों के फ्रैश गार्बेज के एकत्रीकरण के लिये एक प्राईवेट ऐजेन्सी को अनुबन्धित किया गया है। **(अनुबन्ध छायाप्रति संलग्क)**। अनुबन्धित ऐजेन्सी के द्वारा मुख्य मार्गों पर 04 वाहनों से जिसमे जिंगल बजाये जाते है कूड़ा एकत्र किया जाता है तथा इस पर्वतीय क्षेत्र की पालिका के पगडण्डी मार्गों पर महिला कार्मिकों के माध्यम से कूडा एकत्र किया जाता है। **(वाहनों से तथा महिला कार्मिकों के द्वारा कूडा एकत्रीकरण करने के फोटोग्राफ संलग्न)** ।

(3)– पालिका के कार्मिकों के द्वारा स्ट्रीट सफाई से कूडा एकत्रीकरण के स्थलों पर भी गारबेज सैग्रीगेशन किया जा रहा है। **(फोटाग्राफ संलग्क)**। ट्रेचिंग ग्राउण्ड तथा अस्थायी कूडा स्थलों से जो ड्राई गार्बेज निकाला जाता है उसको कम्पैक्टर करने तथा विक्रय किये जाने हेतु एक कम्पनी को हायर किया गया है। **(कार्यादेश छायाप्रति संलग्न)**। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आये है । इस व्यवस्था के कायम होने से एक तो ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर काफी कम मात्रा मे गार्बेज जा रहा है द्वितीय पालिका का काफी मात्रा में गार्बेज शहर से बाहर रिसाईकिलिंग के लिये भेजा जाने लगा है। **(कम्पैक्टर से सिल्लियां बनाये जाने की फोटोग्राफ संलग्न)**

(4)– पालिका द्वारा के हायर की गयी ऐजेन्सी के द्वारा माह दिसम्बर से अप्रैल 2025 तक कुल रू0 2,35,440/– का ड्राई गार्बेज विक्रय किया गया है। ट्रांसपोटेशन का व्यय के पश्चात् कम्पनी को रू0 1,77,440/– का शुद्व लाभ हुआ है और 19,620 कि0ग्रा0 ड्राई गार्बेज रिसाईकिलिंग के लिये शहर से बाहर गया है।

(5)– ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर ऐजेन्सी को हर समय मुस्तैद रहने के साथ–साथ साफ–सफाई के निर्देश दिये गये है तथा कीटनाशक का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है। **(फोटोग्राफ संलग्न)**

(6)– ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लीगेसी वेस्ट को कम्पनी के कार्मिकों के द्वारा फ्रैश वेस्ट के साथ–साथ काफी मात्रा में मैनवल सेग्रीगेट कर लिया गया है। अवशेष लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के पश्चात संशोधित डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड की आपत्ति के पश्चात जनपदीय तकनीकी समिति पौडी से स्वीकृति कराकर पालिका के पत्र सं0 360/लीगेसी वेस्ट/2025–26 दिनांक 13 मई, 2025 के द्वारा शहरी विकास निदेशालय देहरादून को भेजी गयी है। **(डी0पी0आर0 तथा पत्र छायाप्रति संलग्न)**। शासन से स्वीकृति तथा धनावंटन होने पर अवशेष लीगेसी वेस्ट का निस्तारण यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

(7)– मा0 जिलाधिकारी महोदय के दिये गये मार्गदर्शन के आधार पर पालिका द्वारा E-Waste के एकत्रीकरण के लिये एक स्टोर की व्यवस्था करते हुये वहॉ पर साईन बोर्ड तथा कार्मिक तैनात किया गया है **(फोटोग्राफ संलग्न)**। शहर के सभी कार्यालय में पालिका के पत्र सं0 286/ई–वेस्ट/2025–26 दिनांक मई 06, 2025 के माध्यम से ई–वेस्ट को पालिका के स्टोर मे दिये जाने हेतु सूचना दी गयी है। **(पत्र की फोटोग्राफ संलग्न)**।

(8)– मा0 एन0जी0टी0 के पूर्व के आदेशों के क्रम में उस अवधि तक के कार्यों के सत्यापन के लिये सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून के पत्र सं0 यू.के.पी.सी.बी. /एच.ओ./सा0–183–788/2024/1328 दिनांक 11.12.2024 के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 नियन्त्रण बोर्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या में पालिका के किये गये कार्यों की पुष्टि की गयी है। **(निरीक्षण रिपोर्ट छायाप्रति संलग्न)** ।

(9)– पालिका द्वारा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री गौरव भसीन के हस्ताक्षरित आख्या पत्र सं0 503/न0पा0प0/2024–25/पौड़ी दिनांक 24 अगस्त 2024 के द्वारा तथा वर्तमान अधिशासी अधिकारी के पत्र सं0 994/NGT-SWM/2024–25/दिनांक 13 दिसम्बर 2024, पत्र सं0 1078/न0

15/5

पा0प0/पौड़ी दिनांक 03 जनवरी 2025 तथा पत्र सं0 127/ NGT 281-024 /2025–26 दिनांक 19 अप्रैल 2025 के द्वारा अनुपालन आख्या भेजी गयी है। **(साक्ष्य संलग्न)।**

(10)– यह भी अवगत कराना है कि मा0 जिलाधिकारी की प्रेरणा से ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कम से कम कूडा जाये, इसके लिये गीले कूडे जैसे सब्जियों आदि के लिये एक पृथक से सब्जी–एकत्रीकरण– वाहन शाम की शिफ्ट में चलाया जा रहा है और इसे पालिका के गौशाला में ले जाया जाता है इसके अच्छे परिणाम यह आये है कि अब इस प्रकार का वेस्ट नालियॉ आदि मे नहीं जा रहा है।

(11)– पालिका द्वारा प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करे, जिंगल द्वारा जागरूकता के साथ–साथ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है।

(12)– यह कि मेरे से पूर्व की जो अव्यवस्था रही होगी उसे उपरोक्त प्रयासों से दूरस्थ किया गया है और प्रकरण मे वांछित अनुपालन सुनिश्चित कराया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 25/03/2025 के बिन्दु 01 में अनुपालन आख्या की प्राप्ति स्वीकार की गयी है पुनः अद्यतित अनुपालन उपरोक्तानुसार आख्या भेजी जा रही है। बिन्दु न0 2 में नगर पालिका परिषद पौडी को नगर निगम का संज्ञान लिये जाने पर भ्रम की स्थिति बनी है जिसके कारण बिन्दु न0 03 पर प्रतिकूल आदेश हुये है। जबकि कमेटी की संयुक्त आख्या जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण निन्त्रण बोर्ड देहरादून, संयुक्त मजिस्ट्रेट पौडी, प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौडी के साथ–साथ नगर पालिका परिषद पौडी के भी हस्ताक्षर हैं। जिसे जिलाधिकारी पौडी ने अपने पत्र स0 321/21–प्रशा0अधि0/स्था0नि0/2024–25 दिनांक 08/01/2025 के द्वारा परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को भेजा गया है, और मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इसे प्राप्त होना स्वीकार किया गया है।

(13)– यह कि यह वाद दिनांक 17.09.2023 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में श्री किशोर बहुगुणा निवासी तिमली गॉव, पौडी के द्वारा योजित कराया गया है उस समय पालिका में श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी पद पर तैनात थे। यह कि वादयोजन के समय तैनात श्री गौरव भसीन अधिशासी अधिशासी का स्थानान्तरण नगर निगम देहरादून में होने पर दिनांक अक्टूबर 2024 को मेरा स्थानान्तरण नगर पालिका परिषद पौडी में हुआ है। यह कि उक्त अवधि से वर्तमान अवधि तक 30 दिन की शहरी निकाय आचार संहिता भी कायम रही है।

(14)– यह भी अवगत कराना है कि पालिका द्वारा इस प्रकरण में आदेश के बिन्दु न0 2 मं पालिका का पक्ष रखे जाने हेतु सम्मानित अधिवक्ता को नियुक्त कर वकालतनामा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखित कर दिया गया है तथा पालिका का प्रत्युत्तर भी तैयार कर ऑनलाईन दाखिल किया जा रहा है। **(साक्ष्य संलग्न)** ।

अतः पूर्व पालिका तथा संयुक्त समिति की भेजी गयी अनुपालन आख्या में आपके द्वारा परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को भेजी गयी है। पुनः अद्यतन अनुपालन आख्या मय साक्ष्यों सहित भेजी जा रही है।

**<u>संलग्नकः</u>**– यथोक्त

भवदीय

15/5/025

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौडी
पौडी गढवाल

पत्र स0 व दिनाकं –तदैव–

**प्रतिलिपीः– सूचनार्थ प्रेषित।**

1– सम्मानित अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौडी
पौडी गढ़वाल

**श्रीनगर रोड़ पौड़ी स्थित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड की वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ**

-1(II)

**श्रीनगर रोड तिमली पौड़ी स्थित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में लगाये गये सी0सी0 टी0वी0 कैमरों के स्कीन छायाचित्र**

83

(2)

स्वच्छ पौड़ी

स्वस्थ पौड़ी

Email/Speed Post/by Hand

सुन्दर पौड़ी

# !! कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौडी !!

(स्वच्छता ही सेवा)

www.nagarpalikapauri.com

Email-nagarpalikapauri@gmail.com, दूरभाष एवं फैक्स नं0–01368221927

संख्या 1156 /न0पा0प0–05/2022–23/ अनु0 व कार्यदेश/पौड़ी – दिनांक 7 फरवरी, 2024

Bhagwati field Services
Pvt.Ltd.Haridwar

विषयः– डोर टू डोर जैविक, अजैविक,कूडे का collection Segregation& Transportation एवं सूखे कूडे की Processing के कार्य के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि नगर पालिका पौड़ी के डोर टू डोर जैविक अजैविक कूडे का collection Segregation& Transportation एवं सूखे कूडे की Processing के कार्य की आंमत्रित निविदा जो कि दिनाक 20–1–24 में खोली गई थी में आपकी न्युनतम निविदा पाई गई है। और जिसे समिति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।

अतः आप तत्काल अपना अनुबन्ध करवाते हुये 15 दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढवाल

ACE Scanner

(84)

2(1)

IN-UK04456297830110W

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

**e-Stamp**

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UK04456297830110W |
| Certificate Issued Date | : | 13-Feb-2024 12:54 PM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1310504/ PAURI/ UK-PG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK131050415578951162572W |
| Purchased by | : | BHAGWATI FIELD SERVICES PVT LTD |
| Description of Document | : | Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement |
| Property Description | : | NA |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0<br>(Zero) |
| First Party | : | NAGAR PALIKA PARISHAD PAURI GARHWAL |
| Second Party | : | BHAGWATI FIELD SERVICES PVT LTD |
| Stamp Duty Paid By | : | BHAGWATI FIELD SERVICES PVT LTD |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 24,000<br>(Twenty Four Thousand only) |

Anoop Singh Kandari
E-Stamping Haridwar
Licence No.23/2019
Pauri,Garhwal (U k.)

अनुबन्ध / करार

Please write or type below this line

यह करार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौडी गढवाल जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है एवं श्री Bhagwati Field Services pvt.ltd. haridwar जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य दिनांक 14.02.2024 को किया गया है।

चूंकि नगर पालिका परिषद पौड़ी के सीमान्तर्गत डोर टू डोर जैविक अजैविक कूडें का collection Segregation Transportation एवं सूखे कूडें की Processing के कार्य का ठेका दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 28.02.2026 तक द्वितीय पक्ष रो निविदा के आधार पर रू0–2247.00प्रति मैट्रिक टन में लेने को तैयार है जिसमें प्रथम पक्ष सहमत है।

For Bhagwati Field Services Private Limited

Director

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल।

RD 001229724

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www shcilestamp com' or using e Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

ACE Scanner

85

2(2)

1. सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत (11 वार्डो) में नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम–2000, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अनुसार डोर–टू–डोर एवं शॉप–टू–शॉप, गेट–टू–गेट श्रोत पर ही जैविक व अजैविक कूड़ा Collection, Segregation & Transportation के कार्य का संचालन मय वाहनों सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्ष को सूखे कूड़े का सैग्रिगेशन कर इसे विक्रय अथवा प्रसंस्करण का कार्य भी करना होगा। इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को प्रत्येक माह में कुल प्रोसैस्ड ड्राई वेस्ट का विवरण नगर पालिका में उपलब्ध कराना होगा।

2. डोर–टू–डोर एवं शॉप–टू–शॉप जैविक व अजैविक कूड़ा Collection कार्य समस्त नगर क्षेत्र में करना होगा एवं जिन स्थानों पर वाहन जाना सम्भव नही है, उन आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक भवनों से मैनुवल/हाथगाड़ी/पिट्ठू/डस्टबिन/कण्डी द्वारा शत–प्रतिशत कूड़ा एकत्रीकरण करना होगा।

3. सम्पूर्ण नगर क्षेत्र में स्वच्छता सम्बन्धी शिकायत का निस्तारण तीन दिनों के भीतर न होने पर पुष्टि हो जाने के उपरान्त प्रति शिकायत अधिकतम रू0 5,000/– (पांच हजार रूपये मात्र) तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

4. इस कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों को वर्दी, ग्लब्स, गम बूट, मास्क आदि सुरक्षा उपकरण तथा आई0डी0 कार्ड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

5. कूड़ा कलैक्शन, निस्तारण आदि पर लगाये कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं इस पर आने वाले व्यय का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

6. कूड़ा Collection, Segregation & Transportation तथा सूखा कूड़ा के प्रोसेसिंग कार्य का आकस्मिक निरीक्षण समय–समय पर नगर पालिका के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जायेगा तथा सफाई हेतु इनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन द्वितीय पक्ष को त्वरित गति से करना होगा। ससमय निर्देशानुसार अनुपालन न करने पर सुसंगत धाराओं में प्रथम बार रू0 5,000/– तथा द्वितीय बार में शिकायत प्राप्त होने पर रू0 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं पुनः तृतीय बार शिकायत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

7. नये आवासीय या अन्य यूनिट यदि नगर पालिका में जोड़ा जाता है तो वहां पर डोर–टू–डोर कूड़ा कलैक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था की जायेगी, जिसका आंकलन सम्पादित अनुबन्ध के आधार पर किया जायेगा।

8. द्वितीय पक्ष नगर पालिका को सूखा व गीला कूड़ सेग्रिगेट करने के पश्चात अलग–अलग कर उपलब्ध करायेगा।

9. स्वीकृत निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के एक माह के भीतर प्रत्येक वार्ड का बीट प्लान अर्थात् प्रत्येक घर/प्रतिष्ठान में कूड़ा उठाने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का नाम एवं वाहन संख्या उपलब्ध कराना होगा।

10. स्वीकृत निविदादाता द्वारा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रत्येक आवासीय/व्यवसायिक भवन से प्रत्येक माह नगर पालिका पौड़ी की उपविधि के अनुसार यूजर चार्ज वसूल किया जायेगा। माह में एकत्रित कुल यूजर चार्ज का 60 प्रतिशत द्वितीय पक्ष द्वारा रखते हुए शेष 40 प्रतिशत नगर पालिका में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, जो हर माह की 10 तारीख तक नगर पालिका में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। जिन व्यक्तियों द्वारा यूजर चार्ज का भुगतान निविदादाता को नहीं किया जायेगा उनकी सूची नगर पालिका में उपलब्ध करानी होगी।

11. प्रत्येक आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक भवन से प्रतिदिन जैविक–अजैविक कूड़े का कलैक्शन करना होगा।

12. एकत्रिक कूड़े को ढक कर ले जान होगा, किसी भी दशा में डम्पिंग ग्राउण्ड के रास्ते, सड़क में कूड़ा ले जाते समय यदि कूड़ा फैलता है तो द्वितीय पक्ष को तुरन्त उसे साफ कर निस्तारित करना होगा, तथा कूड़े को जलाना प्रतिबंधित होगा। ऐसा न होने की दशा में पुष्टि होने पर रू0 5,000/– (पांच हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड प्रति शिकायत/प्रकरण पर आरोपित किया जायेगा।

13. द्वितीय पक्ष द्वारा लगाये गये समस्त कूड़ा कलैक्शन वाहनों में साउण्ड सिस्टम एवं जी0पी0एस0 लगाना अनिवार्य होगा।

For Bhagwati Field Services Private Limited

Director

PDF Scanner ACE Scanner

(86) 2(3)

14. द्वितीय पक्ष द्वारा वित्तीय बिड में Tipping Fees per metric ton का उल्लेख किया जायेगा, जिस दर पर द्वितीय पक्ष नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा कलैक्शन, सेग्रिगेशन तथा ट्रांसपोर्टेशन तथा सूखे कूड़े की प्रोसेसिंग का कार्य करने को इच्छुक है।

15- प्रतिदिन एकत्रित होने वाले कूड़े के वजन हेतु द्वितीय पक्ष Weighbridge स्वयं के व्यय पर गांधी मैदान में लगाएगा जहां पर वाहनों का वनज कर, कूड़े को डम्पिंग ग्राउण्ड ले जाना होगा तथा नगर पालिका पौड़ी द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के सम्मुख प्रतिदिन कूड़ा वनज किया जायेगा, जिसका प्रत्येक दिन का विवरण वाहनवार बिल के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16- Monthly Bill- Total quantity of waste collected x 2247-00 (per MT).

17. द्वितीय पक्ष द्वारा quote की गई Tipping Fees सम्पूर्ण निविदा अवधि में यथावत रहेगी।

18. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित श्रमिक/कर्मचारी के द्वारा कार्य संतोषजनक न होने पर सम्बन्धित कार्मिक को अविलम्ब द्वितीय पक्ष द्वारा हटाया जायेगा तथा उसके स्थान पर दूसरे श्रमिक/कर्मचारी को तत्काल रखने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

19. यह कि उपरोक्त नियमों/शर्तों में किन्हीं या समस्त नियम/शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही के साथ–साथ पालिका को होने वाली किसी प्रकार की क्षति या अप्रिय स्थिति के लिये द्वितीय पक्ष के विरूद्ध कार्यवाही अलग में लाई जायेगी।

20. कूड़ा Collection, Segregation & Transportation तथा सूखे कूड़े की प्रोसेसिंग के कार्य में ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिक/कर्मचारी के साथ यदि कोई अप्रिय घटना होती है, तो कानूनन उसे मुआवजे आदि का भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

21. द्वितीय पक्ष को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के रूप में 24X7 नगर पालिका सीमान्तर्गत उपस्थित रहना होगा।

22. नगर पालिका क्षेत्र में जब भी कोई वी0आई0पी0 एवं वी0वी0आई0पी0 कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु संबंधित सफाई निरीक्षक द्वारा जो भी निर्देश दिये जायेंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

23. शासन द्वारा समय–समय पर कूड़ा Collection, Segregation & Transportation तथा सूखे कूड़े की प्रोसेसिंग सम्बन्धित जो निर्देश निर्गत होंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

24. मानदेय का भुगतान वर्तमान में लागू उत्तराखण्ड शासन/शहरी विकास विभाग–1 के शासनादेश सं0–2 (ii)/22-02 (घो0)/022 TC दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के अनुसार तथा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा तथा वाहन चालकों को भुगतान 400/– प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।

25. श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश/निर्देश दिये जाते हैं, तो इनका पालन द्वितीय पक्ष को अक्षरशः करना अनिवार्य होगा।

26. द्वितीय पक्ष को सम्पूर्ण नगर क्षेत्र का डोर–टू–डोर गाड़ियों के संचालन का चार्ट, कार्मिकों का ड्यूटी चार्ट, डोर–टू–डोर वाहनों का नगर क्षेत्र में frequency चार्ट तथा सम्पूर्ण क्षेत्र के आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची तथा कार्य में लगाये गये कर्मचारियों की सूची अनुबन्ध के पश्चात् अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को उपलब्ध कराना होगा।

27. द्वितीय पक्ष पर अपेक्षित कार्य न करने की दशा में निम्न अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक नगर पालिका पौड़ी में निहित होगा।
(क) प्रतिदिन प्रति गेट डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण न करने पर रू0 20.00 प्रतिदिन/ प्रति गेट।
(ख) डोर–टू–डोर कलैक्शन हेतु वाहन/कर्मचारी निर्धारित स्थल सीमा में उपलब्ध न होने की दशा में रू0 500.00 प्रति वाहन/कार्मिक।
(ग) कार्मिकों को निर्धारित यूनिफॉर्म/आई कार्ड न होने की दशा में रू0 20.00 प्रति कार्मिक/प्रतिदिन।
(ड0) कार्मिक के ड्यूटी के अनुपस्थित पाये जाने पर रू0 500.00 प्रति कार्मिक/प्रतिदिन।
(च) सोर्स पर कूड़ा पृथक–पृथक न करने की दशा में रू0 30.00 प्रतिदिन व प्रतिघर/प्रतिदुकान/प्रतिगेट।

28. द्वितीय पक्ष या फर्म को कार्य में लगे समस्त कर्मचारियों का भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) एवं ई0एस0आई0 की कटौती कर अंशदान का लाभ कार्मिकों को उपलब्ध कराना होगा। भुगतान जमा होने के पश्चात् चालान की प्रति नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। चालान/रसीद जमा होने के पश्चात् ही अगले भुगतान होने की कार्यवाही की जायेगी।

For Bhagwati Field Services Private Limited
Director

PDF Scanner ACE Scanner

2(4)

29. द्वितीय पक्ष को श्रम कानूनों केन्द्र व राज्य सरकार तथा शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी शासनादेशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

30. निविदा की अवधि अनुबन्ध की तिथि से 03 वर्ष होगी। कार्य संतोषजनक होने की दशा में अनुबन्ध 02 वर्ष हेतु आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

31. वांछित कार्य में लगे श्रमिकों को दिये जाने वाला पारिश्रमिक हेतु मा0 न्यायालयों/शासन/एन0जी0टी0/समय–समय पर की गई/किये जाने वाली घोषणाओं/आदेश/निर्देशों का अनुपालन करने का दायित्व सफल द्वितीय पक्ष द्वितीय पक्ष का होगा।

32. द्वितीय पक्ष को सफाई सम्बन्धी समस्त कानूनों, शासनादेशों, माननीय न्यायालयों (मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय मा0 एन0जी0टी0) इत्यादि के आदेशों के आदेशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

33. स्वीकृत द्वितीय पक्ष को ठेका स्वीकृत होने की 07 (सात) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा एवं अनुबन्ध करते समय निविदा कुल धनराशि के 02 प्रतिशत के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

34. यह कि उपरोक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी वाद–विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष /प्रशासक का निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी भी प्रकार के न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र जिला–पौड़ी गढ़वाल होगा।

35. द्वितीय पक्ष द्वारा नगर पालिका पौड़ी के साथ अनुबन्ध किया जायेगा, जिसका नियमानुसार पालन करना अनिवार्य होगा।

36. द्वितीय पक्ष को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त करों का जैसे–आयकर, जी0एस0टी0 आदि का भुगतान नियमानुसार स्वयं करना होगा।

37. द्वितीय पक्ष पालिका के अधिशासी अधिकारी/सफाई निरीक्षक एवं इस कार्य में निर्धारित कर्मचारी/अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे।

38. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त नगर क्षेत्र के घरों/प्रतिष्ठानों आदि से प्रतिदिन कूड़ा एकत्रीकरण कर अपर चोपड़ा स्थित डम्पिंग जोन में डाला जायेगा। निविदा डालने से पूर्व द्वितीय पक्ष द्वारा नगर पालिका परिषद पौड़ी का सर्वेक्षण किया जा सकता है।

38. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यों में लगाये गये कूड़े वाहनों में गीला व सूखा कूड़े हेतु अलग–अलग व्यवस्था रखनी होगी तथा Domestic Hazardous Waste के लिए पृथक बॉक्स वाहनों में लगाने होंगे।

39. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य में लगे समस्त वाहनों की साफ–सफाई व धुलाई नियमित रूप से करनी होगी एवं मरम्मत स्वयं करानी होगी।

40. नगर पालिका पौड़ी द्वारा द्वितीय पक्ष को 4 बुलैरो टिप्पर तथा एक बड़ा टिप्पर ट्रक डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इनके अतिरिक्त भविष्य में आवश्यकतानुसार यदि नगर पालिका द्वारा द्वितीय पक्ष को अतिरिक्त वाहन लगाये जाने हेतु आदेशित किया जाता है तो इसका अनुपालन द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय पर करना अनिवार्य होगा।

41. नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पालिका द्वारा स्थापित किए गये समस्त कूड़दानों/ट्राली में एकत्रित कूड़े को उठाने का कार्य भी स्वीकृत फर्म द्वारा प्रतिदिन नियमानुसार किया जायेगा तथा इस सम्पूर्ण कूड़े को भी नगर पालिका के अपर चोपड़ा स्थित डम्पिंग जोन पर ले जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु सम्बन्धित फर्म को इस हेतु आवश्यक वाहनों की व्यवस्था स्वयं करानी होगी।

42. नगर क्षेत्र की स्वच्छता एवं जनहित में स्वच्छता के कार्य हेतु वाहन की आवश्यकता होती है तो सफाई निरीक्षक के निर्देश पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।

43. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन/स्वच्छता से सम्बन्धित जो भी कार्य आपकी फर्म से सम्बन्धित होगा उस कार्य को प्रथम पक्ष के द्वारा अधिकृत फर्म के सहयोग से पूर्ण करना होगा।

44. उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं का अगर अनुपालन नही किया जायेगा तो नगर पालिका पौड़ी द्वारा नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

45. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार नगर पालिका परिषद पौड़ी में निहित होगा।

For Bhagwati Field Services Private Limited

Director

ACE Scanner

88

2(5)

46. द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में इस सम्बन्ध में उन्हें 02 बार नोटिस दिये जाने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी /प्रशासक द्वारा यह ठेका निरस्त किया जा सकता है, जिस पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नही होगी।

47. अपने कर्मचारियों को प्रत्येक माह का वेतन भुगतान किये जाने का दायित्व ठेकेदार/निविदादाता का होगा तथा वेतन भुगतान के पश्चात् ही पालिका में अपना बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

48. कि निविदा के साथ संल्गन शर्तनामा अनुबन्ध का हिस्सा माना जायेगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने आज दिनाक 14.02.2024 को साक्षियों के सम्मुख हस्ताक्षरित किया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

For Bhagwati Field Services Private Limited

Director

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल।

प्रशासक
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल

ACE Scanner

महिला कार्मिकों के द्वारा डोर टू डोर कूडा एकत्रीकरण करने से सम्बन्धित फोटोग्राफ

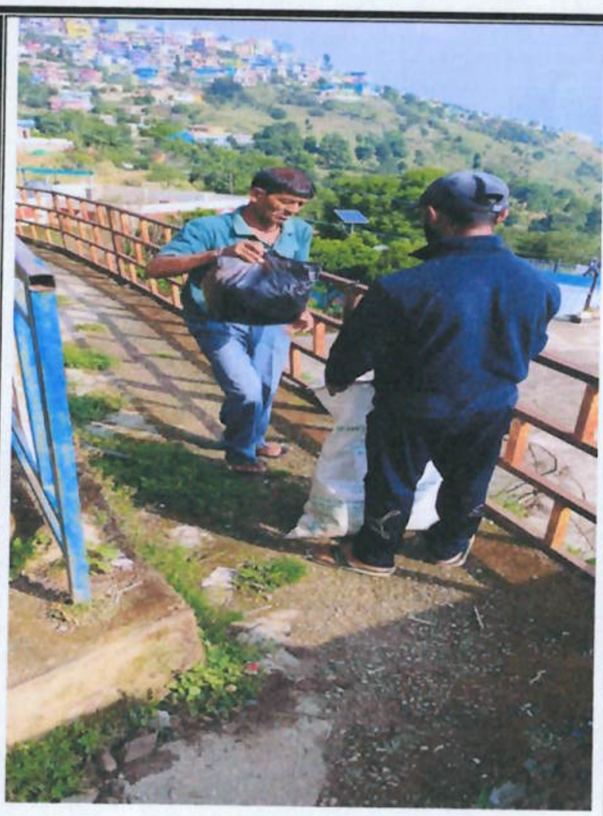

**वाहनों से एवं कार्मिकों के द्वारा डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण करने से सम्बन्धित फोटोग्राफ**

91

5

# कार्यालय—नगर पालिका परिषद पौडी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या 933 /गारबेज प्रोसेसिंग/ 2024—25/

दिनांक नवम्बर 30, 2024

मैसर्स भगवती फील्ड सर्विस प्रा0 लि0,
16, स्वर्गलोक सराय, ज्वालापुर,
हरिद्वार ।

विषयः— **नगर पालिका परिषद पौडी के पृथक तथा एकत्रित किये गये सूखे कूडे से प्रोसिंग करते हुये कौम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियॉ बनाना तथा उसे विकय किये जाने की कोटेशन स्वीकृति तथा कार्य आरम्भ किये जाने विषयक।**

उपरोक्त विषयक आमन्त्रित कोटेशन मे आपकी फर्म की कोटेशन न्यूनतम दर रू0 24,000/— (रू0 चौबीस हजार) प्रतिमाह (जी0एस0टी सहित) प्राप्त हुई है। कोटेशन समिति की संस्तुति पर प्रशासक महोदय द्वारा उपरोक्त दर अन्तिम रूप से दिनांक 26/11/2024 को स्वीकृत की गयी है। यह कार्य दिनांक 01 दिसम्बर 2024 से 10 माह की अवधि अर्थात माह सितम्बर 2025 तक के लिये स्वीकृत किया गया है। इस कार्यादेश जारी होने के पश्चात् दिनांक 01/12/2024 से आप नगर पालिका परिषद पौडी के पृथक तथा एकत्रित किये गये/करते हुये सूखे कूडे से प्रोसिंग करते हुये कॉम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियॉ बनाना तथा उसे विकय किये जाने की कार्यवाही निम्न शर्तों/नियमों के अधीन करना सुनिश्चित करेंगे।

1. यह कि रू0 100/— का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय मे आकर अनुबन्ध करना।
2. कार्य आरम्भ करने की सूचना भी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे।
3. माह में तैयार 100 सिल्लियों का ट्रांसपोटेशन का व्ययभार ऐैजेन्सी का होगा तथा सिल्लियों की विकय राशि से 10 प्रतिशत राशि पालिका में जमा करनी होगी। तथा इसके पर्याप्त दस्तावेज तैयार किये जायेंगे तथा संरक्षित रखे जायेंगे।
4. रू0 50,000/— की जमानत कार्यालय में बन्धक करके जमा करनी होगी।
5. गारबेज का प्रथृकीकरण पालिका के कलैक्शन स्पोट तथा ट्रंचिंग ग्राउड पर किया जायेगा। वहॉ से इसे मजबूत बैग मे पालिका की पूर्व मे स्थापित कौम्पैक्टर मशीन के पास लाया जायेगा। सिल्लियॉ तैयार करने के पश्चात पालिका के स्टोर मे रखा जायेगा। परन्तु स्टोर मे 100 सिल्लियो से अधिक किसी भी दशा मे मान्य न होगा।
6. कौम्पैक्टर वाले स्थान पर केवल 02 सिल्लिया ही चालू कार्य मे रहेगी, वहॉ पर इससे ज्यादा सिल्लिया रखना प्रतिबन्धित होगा तथा बाहर कोई भी गारबेज नही डाला जायेगा।
7. ऐैजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सिल्लियॉ बनाने का कार्य दिन की क्लोजिंग पर कौम्पैक्टर मशीन के अन्दर उत्तम दर्ज की साफ—सफाई करने के पश्चात ही कार्मिक को भेजा जायेगा।
8. पृथकीकरण के लिये ऐैजेन्सी पूर्व मे डोर—टू—डोर का कार्य कर रही कम्पनी की भी सहायता लेगी और अपने कार्मिको के माध्यम से भी यह कार्य करायेगी। बेहतर होगा कि ऐैजेन्सी स्थानीय रैग पिकर को लिस्टेट कर उनसे स्थानीय स्तर पर एक निशचित रकम तय कर कूडा ले लेवे।
9. कौम्पैक्टर मशीन पर होने वाला विधुत का व्यय पालिका द्वारा वहन किया जायेगा परन्तु कौम्पैक्टर की मरम्मत सम्बधित ऐैजेन्सी के द्वारा की जायेगी।
10. सिल्लियो को मजबूत वायर से बॉधना होगा। प्रत्येक सिल्ली लगभग 60 कि0ग्रा0 से कम की नही होगी।

2—

92

3(1)



11. ऐजेन्सी को प्रतिमाह सिल्लियो 60 किग्राम तथा संख्या मे 100 होने पर ही भुगतान किया जायेगा। के आधार पर तथा उसकी दी गयी और पालिका से स्वीकार किये जाने वाली दर के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
12. ऐजेन्सी द्वारा सिल्लियो की बिक्री की 10 प्रतिशत राशि पालिका मे जमा कर दिये जाने एवम लेखा/सफाई अनुभाग से पुष्टि हो जाने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
13. ऐजेन्सी को सफाई कार्य मे लागू , कर कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा।
14. इस कार्य से पौडी शहर की गन्दगी से निजात दिलाने का कार्य होगा। कार्य की सफलता से पौडी शहर मे पर्यावरणीय सन्तुलन मे बढोत्तरी होगी। कार्य से पौडी शहर की स्वच्छता की रैकिंग मे भी सुधार होगा और पौडी शहर एक साफ शहर तथा सुन्दर शहर बनाया जा सकेगा। कार्य से स्थानीय रैग पिकर्स यदि वह ऐजेन्सी के साथ काम करना चाहेगे तो उन्हे भी फायदा होगा और कार्य के विस्तारीकरण के पश्चात स्थानीय युवाओ को भी रोजगार मिल सकेगा। फर्म को अधिकार होगा कि वह स्थानीय स्वंय सेवी संस्थाओ से भी सहयोग ले सकेगी, परन्तु कार्य सबलेट नही किया जायेगा।
15. इस कार्य की अवधि अनुबन्ध की दिनाकं से 10 माह के लिये होगी। कार्य की सफलता के आधार पर इसे प्रथम बार 10 माह की अवधि तक के लिये बढाया जा सकेगा।
16. कार्य मे लापरवाही अथवा दुषपरिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा मे यह अनुबन्ध 15 दिनो के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल ऐजेन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा।
17. ऐजेन्सी के द्वारा यदि समय से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरे प्राप्त की जायेगी, अथवा इन्ही न्यूनतम दरो पर किसी अन्य ऐजेन्सी से कार्य लिया जा सकेगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी
18. कार्य मे लापरवाही अथवा दुष्परिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा मे यह अनुबन्ध 15 दिनो के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल ऐजेन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. ऐजेन्सी के द्वारा यदि अनुबन्ध अवधि से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरे प्राप्त की जायेगी।
20. यह कार्य उपरोक्त शर्तों तथा सम्पादित होने वाले अनुबन्ध के आधार पर निष्पादित किये जायेगा, परन्तु भवष्यि मे यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रथम दोनो पक्ष आपस मे विवाद को निपटायेगे । किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर विवाद का न्यायालय क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र पौडी रहेगा।

अतः कृपया उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्यवाही एवम कार्य करना सुनिश्चित करे।

30/01/024

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

पत्र स0 व दिनाकं –तदैव–

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।

1:– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी, पौडी ।

2:– संयुक्त मजिस्ट्रेट/प्रशासक, नगर पालिका परिषद पौडी ।

30/01/024

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद् पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

अधिशासी अधिकारी

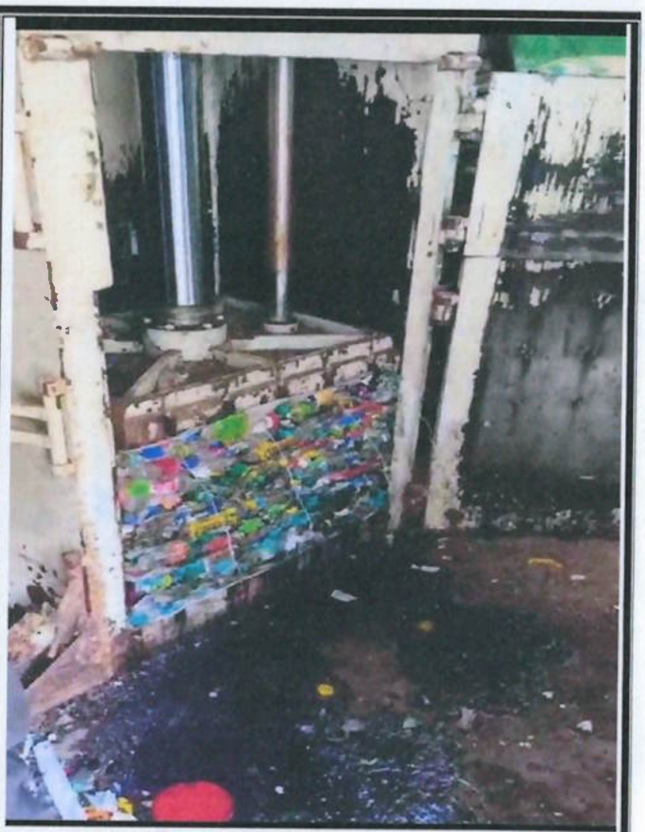

# नगर पालिका ने कूड़ा बेचकर कमाए दो लाख

पौड़ी में प्लास्टिक कूड़े के ब्लॉक बनाता पालिका का पर्यावरण मित्र। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

पौड़ी। जिला मुख्यालय पौड़ी में कूड़ा निस्तारण की योजना अब रंग लाती दिखाई दे रही है।

शहर के विभिन्न वार्डों से जमा कूड़े का पालिका ने रिसाइकिल करना शुरू कर दिया है, जिससे पालिका ने बीते चार महीने में दो लाख से अधिक की आमदनी कर ली है।

पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति प्रसाद जोशी ने बताया कि शहर की सफाई को लेकर पर्यावरण मित्रों को नियमित रूप से कूड़ा उठान के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी नगर क्षेत्र से

## जिला मुख्यालय पौड़ी में कूड़ा निस्तारण की योजना अब रंग लाती दिखाई दे रही

हर दिन करीब 15 टन कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है। तिमली रोड पर कूड़ा सूखा और गीला कूड़ा अलग करने के बाद उनके ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं।

बीते चार माह में पालिका ने करीब 2400 किलो कूड़ा रिसाइकिल के लिए हरिद्वार स्थित प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकृत वेंडर को बेचा है। इससे पालिका ने दो लाख से अधिक की आमदनी जुटाई है।

**कम्पैक्टर मशीन से ड्राई गार्बेज की सिल्लियां बनाये जाने से सम्बन्धित फोटोग्राफ**

दिनांक 04.05.2025 को अधिशासी अधिकारी, सफाई निरीक्षक एवं नगर पालिका के कार्मिकों द्वारा आम जनता के साथ चलाये गये सफाई अभियान के फोटोग्राफ।

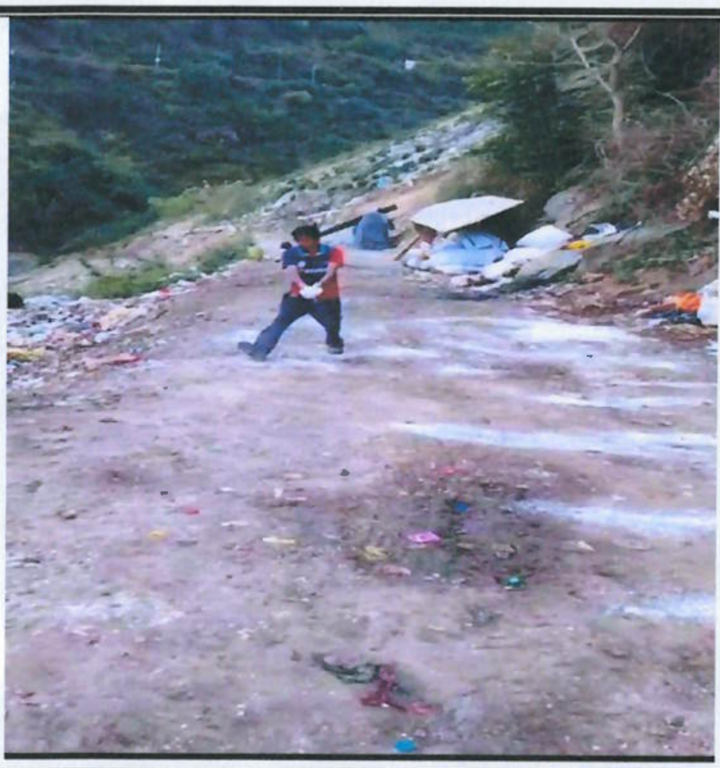

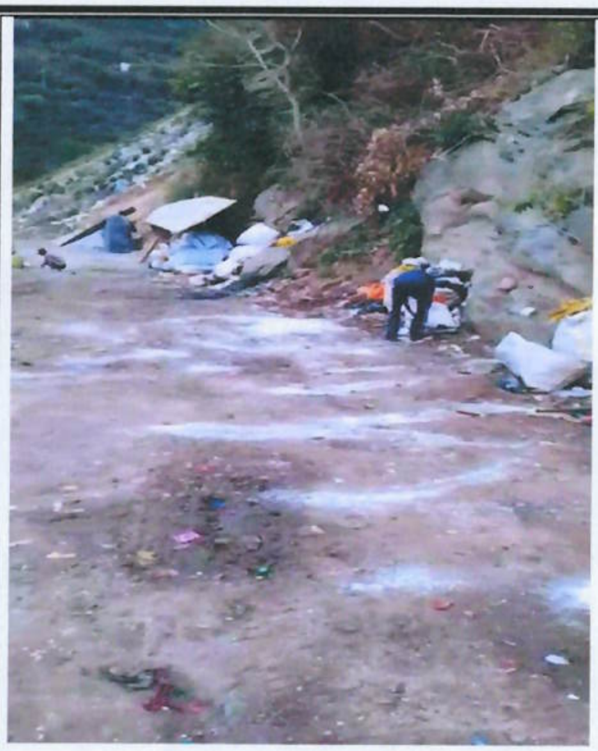

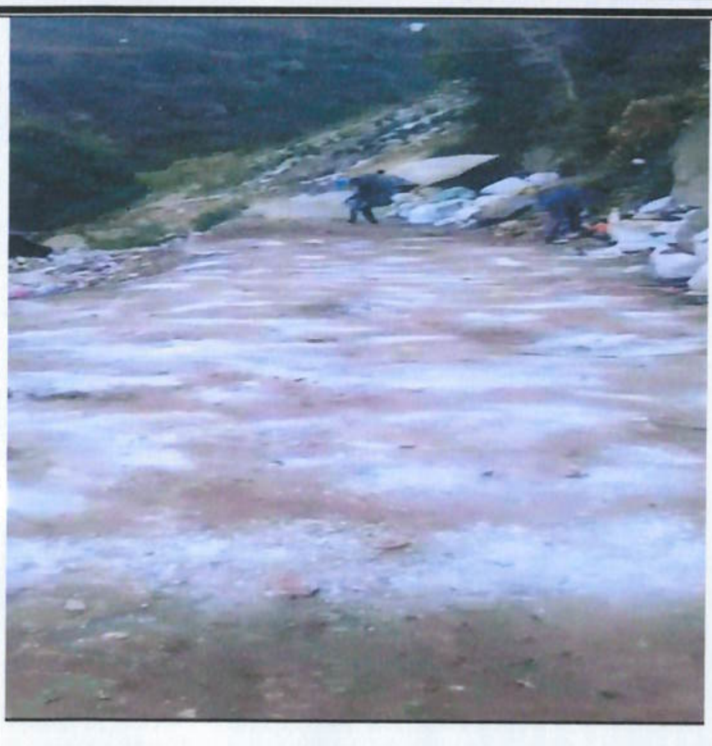

श्रीनगर रोड़ पौड़ी स्थित ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कीटनाशक एवं साफ–सफाई की व्यवस्था से सम्बन्धित फोटोग्राफ

96 (6)

# कार्यालय—नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्याः—360/ Legacy Waste/2025—26/ दिनांक मई 13, 2025

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

**विषयः—** **नगर पालिका पौडी की Legacy Waste की जनपदीय तकनीकी समिति से अनुमोदित कराकर स्वीकृति हेतू पुनः प्रेशण किया जाने विशयक।**

महोदय

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पालिका पौडी के द्वारा श्रीनगर रोड पर ट्रेचिंग ग्रांउड में आकलिंत किये गये 7636 MT Legacy Waste के निस्तारण हेतु रू0 95.05 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भेजी गयी थी। शहरी विकास निदेशालय के पत्र सं0 050105—SBM. दिनांक 22.02.2025 के कम में पालिका द्वारा डी0पी0आर0 को जनपदीय तकनीकी समिति से अनुमोदन कराया गया है तकनीकी समिति मे उक्त डी0पी0आर0 की धनराशि रू0 67.38 लाख संशोधित की गयी है।

जनपदीय तकनीकी समिति पौडी के अधीक्षण अभियन्ता, (अध्यक्ष समिति) लोक निर्माण विभाग, पौडी के पत्र सं0 1058/233 भवन/12/2025 दिनांक 22/4/2025 के द्वारा Legacy Waste की अनुमोदित डी0पी0आर0 की मूल 01 प्रति संलग्न कर स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः कृपया पालिका पौडी के Legacy Waste के निस्तारण हेतु उक्त डी0पी0आर0 की वित्तीय स्वीकृति करने का कष्ट करे।

**संलग्नकः— यथोक्त।**

भवदीय

शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौडी
पौडी गढवाल

पत्र स0 व दिनाकं —तदैव—

**प्रतिलिपिः— सूचनार्थ प्रेषित।**

1:— जिलाधिकारी पौडी गढवाल
2:— अध्यक्ष, नगर पालिका परिशद पौडी
3:— श्री आरिफ, अवर अभियन्ता, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त डी0पी0आर0 तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनि चित करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौडी
पौडी गढवाल

97

(7)

# कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या 286/ई-वेस्ट/2025-26/ दिनांक मई 6, 2025

समस्त कार्यालयाध्यक्ष
पालिका क्षेत्र पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।

**विषय–** **सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हेतु पालिका द्वारा केंद्र बनाया जाना तथा वहां पर ई वेस्ट का संग्रहण करने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के दिए गए निर्देशों/मार्गदर्शन के क्रम में पालिका द्वारा ऐजेन्सी रोड़ पर पालिका के स्टोर में ई–वेस्ट संग्रहण करने की व्यवस्था की गई है। आप अपने विभाग का ई वेस्ट यहां जमा करा सकते हैं, जिसे उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पंजीकृत वेंडर्स को दिया जाना संभव होगा।

अतः कृपया अपने विभाग का ई–वेस्ट उपरोक्त वर्णित स्थान पर पालिका के स्टोर में जमा कराने का कष्ट करें। इससे सम्बन्धित जानकारी श्री हेमन्त कुमार, सफाई निरीक्षक, नगर पालिका परिषद पौड़ी (मो0 न0–9897746677) से ली जा सकती है।

भवदीय,
6/5/025
(एस0पी0जोशी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौडी
पौडी गढवाल

पत्र सं0 व दिनांक –तदैव–
**प्रतिलिपिः– सादर सूचनार्थ प्रेषित।**

1. सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून।
4. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पौड़ी।
5. मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
6. अपर जिलाधिकारी गढ़वाल।
7. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय नेहरू कॉलोनी देहरादून को इस आशा के साथ की कृपया यू.के. पी.सी.बी में ई वेस्ट के लिए पंजीकृत वैन्डर्स की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।
8. सफाई निरीक्षक को इस आशय के साथ की उपरोक्त वर्णित स्थल पर जिम्मेदार कार्मिक की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
9. स्टोर कीपर नगर पालिका को निर्देशों का अनुपालन करने हेतु।
10. सम्बन्धित पत्रावली पर सुरक्षित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौडी
पौडी गढवाल

7(1)

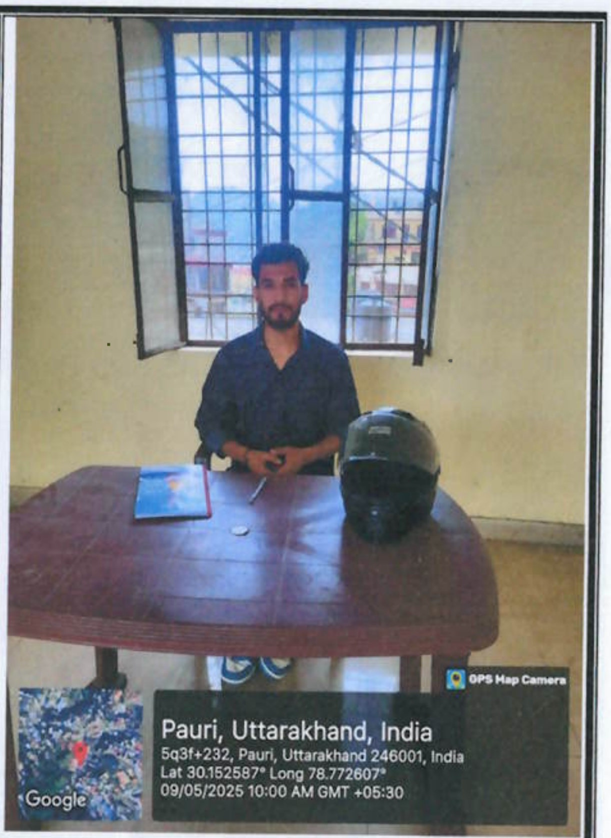

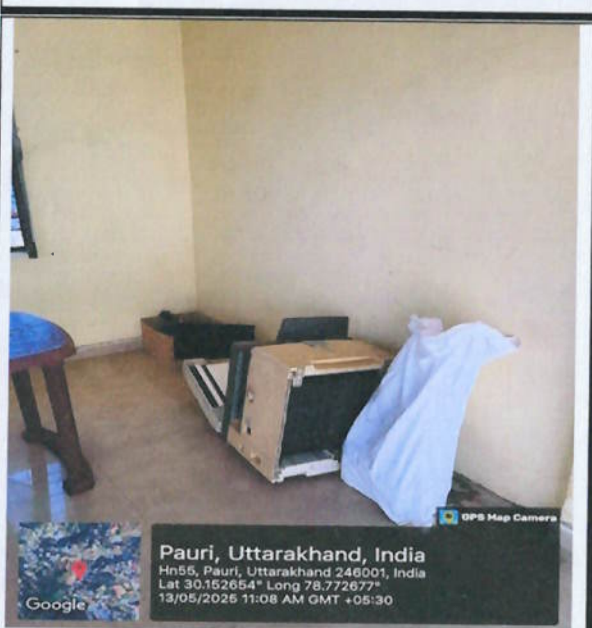


नगर पालिका क्षेत्र पौड़ी के सरकारी कार्यालयों एवं आम नागरिकों के ई–वेस्ट के लिये स्टोर तथा कलैक्शन सेन्टर

99

8

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेली फोन नं.–0135–3593200

LiFE
Lifestyle For Environment

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/एन0जी0टी0–111 /2024–25/3011 – 1550 दिनांक 21/12/24

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून।

**विषय–** मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 व बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा–183–788/2024/1328 दिनांक 11.12.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, पौड़ी का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.12.2024 को किया गया। नगर पालिका पौड़ी द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम का अनुपालन की अद्यतन स्थिति का विवरण निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

21/12/2024

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

8(1)

**विषयः— मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या—281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में दिनांक 17.12.2024 को निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या—281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रकरण ग्राम तिमली/पौड़ी, नई विकास कॉलोनी, जिला पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं—119 में नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में इस कार्यालय एवं अधिशीस अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 17.12.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया आख्या निम्नवत् है—

1. वर्तमान गारबेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गारबेज को नीचे न जाये। पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार लम्बाई 60 मी0 उंचाई 10.5 मी0 का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा दीवार की फाउण्डेशन की खुदाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि निरीक्षण में मौका स्थल पर भी हुई है। कार्य आदेश एवं स्थल के फोटोग्राफ संलग्न हैं। (संलग्न) सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौडाई बढ जाने पर .01 MRF Centre भी बनाया जाना प्रस्तावित है।
2. नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिये एक प्राइवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहनों के माध्यम से एवं पगडंडियो मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गारबेज एकत्रिकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं। (संलग्न)
3. ड्राई गारबेज से सिल्लियां बना कर शहर से बाहर विकय के लिये भेजे जाने हेतु कैम्पैक्टर मशीन की स्थापना की गयी है। नगर पालिका द्वारा ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं। (संलग्न)
4. उपरोक्त ट्रैचिंग ग्राउण्ड स्थल पर 7,636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गयी थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र संख्या—3898/886/SBM/SWM/ली0वे0/2022—23 दिनांक 04 नवम्बर, 2024 क द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति अधिशासी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय उपलब्ध करायी गई है। (संलग्न) पत्र में लीगेसी वेस्ट का स्थान त्रुटिवश माण्डाखाल लिखा गया है, इसके सम्बन्ध में निदेशालय को दूरभाष पर संशोधन हेतु अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त संशोधन हेतु भी पत्र भेजा जा रहा है।
5. पौड़ी नगर के ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं—32 में 1.007 हे0 भूमि हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आंवटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ठ प्रसंस्करण हेतु अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण की कार्यवाही प्रस्तावित है।
6. वर्तमान में गारबेज निस्तारण स्थल पर ट्रैचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिये भी निविदायें आमन्त्रित की गयी हैं। ताकि गारबेज को ऊपर से न डाल कर निर्मित होने वाली सड़क से ही छटाई के लिये ले जाया जाये। इस कार्य में पत्थरों का खड़ंजा सड़क निर्माण का प्राविधान किया गया है, जिसमें 300 मी0 लम्बाई तथा 3.65 मी0 चौड़ाई की सड़क खुदाई/ड्रेसिंग का कार्य हो चुका है। 150 मी0 पैदल रास्ता और भी बनाया जाना अवशेष है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।
7. वर्तमान में ट्रैचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिया गये हैं एवं नगर पालिका से जनित ठोस अपशिष्ट का पृथ्थकरण किया जा रहा है। उपरोक्त निरीक्षण के समय नगर पालिका पौड़ी द्वारा किये जा रहे कार्यों का सत्यापन किया गया।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

21/12/2024 — 21/12/2024

(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

Toll Free No 18002578414 (101) Email/Speed Post/by Hand

स्वच्छ पौड़ी स्वस्थ पौड़ी सुन्दर पौड़ी

# !! कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौडी !!

(स्वच्छता ही सेवा)

Web-www.nagarpalikapauri.com

Email-nagarpalikapauri@gmail.com, दूरभाष एवंफैक्स नं0 –01368221927

संख्याः– 503 / न0पा0प0 / 2024–25 / पौड़ी दिनांक 21 अगस्त 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

**विषय–** **मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281 / 2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्याः–2023 / 21–प्रशा0अधि0,स्था0 निव0–रि0अनु0आ0 / 2024–24 दिनांक 30 जुलाई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281 / 2024 किशोर बहुगुणा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में ग्राम तिमली गांव / पौड़ी, न्यू विकास कॉलोनी जिला पौड़ी गढवाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–119 में नगर पालिका परिषद पौड़ी के कचरा डम्पिग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियत समय से पूर्व आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 04.08.2024 को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, प्र0 क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं प्रशासक / संयुक्त मजिस्ट्रेट वारहस्यू पौड़ी महोदय के द्वारा संयुक्त निरीक्षण जांच की गयी है। जो कि संलग्न है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

**संलग्न–** **संयुक्त निरीक्षण जांच आख्या।**

भवदीय,

(गौरव भसीन)
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

**प्रतिलिपि**– प्रशासक / संयुक्त मजिस्ट्रेट वारहस्यू महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

## मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281 / 2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा.-163-788 / 2024 / 568 दिनांक 15.07.2024 के अनुक्रम में मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281 / 2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024, प्रकरण ग्राम तिमली / पौडी, नई विकास कॉलोनी, जिला-पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं0-119 में नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गयेः-

1. जिलाधिकारी पौडी गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. नगर निगम, पौड़ी गढ़वाल।

तत्क्रम में जिलाधिकारी गढ़वाल एवं उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्यों को नामित किया गया,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. उप जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी (देहरादून), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल।

नामित सदस्यों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

1- निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद, पौड़ी के अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौडी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड आते हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।

2- डम्पिंग साईट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को अस्थाई तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा चयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े (प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पैक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।

3- बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूड़े को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साईट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साईट पर विगत वर्षों का लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) की स्वीकृति धनावंटन हेतु दिनांक 10.09.2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी0पी0आर0 अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।

4- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 की अनुसूची-1(क 7) में दिये गये मानदण्डों के अनुसार प्रश्नगत डम्पिंग साईट की स्थिति निम्नानुसार हैः-

| स्थिति | निर्धारित मानक | प्रश्नगत स्थल की दूरी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| नदी से दूरी | 100 मीटर | डम्पिंग साईट के निकट कोई नदी स्थित नहीं है। | डम्पिंग स्थल के अन्तिम कोने के 60 मी0 की दूरी पर एक बरसाती गधेरा स्थित है। |
| तालाब से दूरी | 200 मीटर | डम्पिंग साईट के निकट कोई तालाब स्थित नहीं है। | - |
| राजमार्गों से दूरी | 200 मीटर | राजमार्गों से दूरी-0 मी0 | - |
| आवास स्थलों से दूरी | 200 मीटर | आवास स्थलों से दूरी-60 मी0 | - |
| सार्वजनिक उद्यानों से दूरी | 200 मीटर | सार्वजनिक उद्यानो से दूरी-03कि0मी0 | - |

103 9(2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| जलापूर्ति कुओं से दूरी | 200 मीटर | डम्पिंग साईट के निकट कोई जलापूर्ति कुआं स्थित नहीं है। | — |
| हवाई अड्डे से दूरी | 20 कि0मी0 | 87 कि0मी0 | — |

5— नगर पालिका परिषद् पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली—2016 के मानदण्डों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़े के पृथक्करण/प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आबद्ध की गयी है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र संख्या:—29—07(19) 2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र संख्या:—08 बी0/यू0सी0पी0/09/212/2016/एफ0सी0/2827 दिनांक 19 फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट (Solid Waste Management Plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) (कुल लागत—9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा शहरी विकास, निदेशालय, के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी है (पत्र संख्या:—95/न0पा0प0—05/2024—25 पौड़ी दिनांक 15 मई 2024)। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गयी है (पत्र संख्या:—106/न0पा0प0/2024—25 दिनांक 20 मई 2024)। इसके अतिरिक्त उक्त प्लान्ट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होती है प्लान्ट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

6— अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं0—5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे है। वर्तमान डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिये एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमन्त्रित कर कार्यादेश संख्या:—557/न0पा0प0—07/2024—25 पौड़ी दिनांक 06.09.2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मीटर एवं निकटतम आवास से 140 मी0 की अधिक दूरी पर ले जाया जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर0डी0एफ0 को पृथक कर विक्रय किया जा सकेगा।

7— प्रश्नगत डम्पिंग साईट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गधेरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है तथा बाउण्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित स्थल पर एक अस्थाई एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। जिससे सूखा कूड़ा एवं आर0डी0एफ0 पृथक कर विक्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।

8— अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है, जिसके उपरान्त डम्पिंग साईट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डम्पिंग साईट में अवस्थित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित करना उचित होगा।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

21.09.24

(गौरव भसीन)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

(डॉ0 राजकुमार चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

(दीपक रामचन्द्र शेट)
संयुक्त मजिस्ट्रेट
(बा0) पौड़ी।

(स्वनिल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

(104)

9(3)

# कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या 994 /NGT- SWM /2024–25/ दिनांक दिसम्बर, 13 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी
पौडी

**विषय–** **मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के तथा दिनाकं 05/12/2024 पर पुनः आख्या दिये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 17202/21 प्रशा0अधि0/ स्था0नि0/2024 दिनाकं 11/12/2024 के साथ मा0 एन0जी0टी0 मे योजित वाद स0 281/2024 मे दिनाकं 05/12/2024 के आदेशो के कम मे निवेदन पूर्वक अवगत कराना है है कि उक्त वाद मे आदेश दिनांक 29.05.2024 के पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी पौड़ी के आदेश संख्या 72 दिनांक 31 अगस्त 2024 के द्वारा चार सदस्य समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा दिनांक 20.09.2024 को गारबेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्याः–503/न0पा0प0/2024–25/पौड़ी दिनांक 24 अगस्त 2024 एवं पत्र संख्याः–620/न0पा0प0/2024–25/पौड़ी दिनांक 21 सितम्बर 2024 के द्वारा जिला कार्यालय पौड़ी को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त जांच रिपोर्ट को जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के कार्यालय पत्र संख्या 402 /21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक 23 सितम्बर 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त जांच रिपोर्ट के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान टृचिंग ग्राउंड मे निम्न कार्यवाही की गयी है।

1. वर्तमान गारबेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गारबेज को नीचे न जाये पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमन्त्रित की गयी है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौडाई बढ जाने पर 01 **MRF Centre** भी बनाया जा सकेगा ।
2. नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिये एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहनों के माध्यम से एवं पगडंडियो मार्ग से ऐजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गारबेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।
3. ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विकय के लिये भेजे जाने हेतु कैम्पैक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुये 10 महीने के लिये एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।
4. उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7,636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गयी थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुये अपने पत्र संख्या 3898/886/ **SBM/SWM**/ली0वे0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
5. पौड़ी नगर के ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली बींट न0–32 में 1.007हे0 भूमि हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिये अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।
6. वर्तमान गारबेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिये भी निविदायें आमान्त्रित की गयी है, ताकि गारबेज को उपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सडक से ही छँटाई के लिये ले जाया जाये।

, वर्तमान टृचिंग ग्राउड मे सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये है जिससे वर्तमान टृचिंग ग्रांउड की मौनिटरिंग भी की जा रही है।

इस प्रकार नगर पालिका पौडी द्वारा वर्तमान गारबेज ट्रेचिंग ग्राउड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही है, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनावंटन के लिये शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति/धनावंटन हेतू भेजी गयी है। SWM के कियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है। तब तक वर्तमान टृचिंग ग्रांडड मे ही उपरोक्तानुसार गारबेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः पारित आदेशों के कम में पालिका के द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की आख्या मय दस्तावेजों के साथ प्रेषित की जा रही है।

**संलग्नक–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

13/XII/024

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

105

4(4)

# कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्याः-1078 / न0पा0प0 / पौड़ी दिनांक 03 जनवरी 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

विषयः– विधिक आवेदन सं0–123 / 2024 में मूल आवेदन सं0–281 / 2024 किशोर वहुगुणा वनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– पत्र संख्या E-17202/21 –प्रशा0अधि0 (स्था0नि0) / 2024 पौड़ी दिनांक 11 दिसम्बर, 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या E-17202/21 प्रशा0अधि0 (स्था0नि0) / 2024 पौड़ी दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 का अनुपालन तैयार कर प्रेषित किया जाना है, उक्त प्रश्नगत प्रकरण का अनुपालन संकलित कर मूल में आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

अतः महोदय, आख्या आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– 1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त मजिस्ट्रेट / प्रशासक महोदय, नगर पालिका परिषद पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल।

106

9(5)

# मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के कम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के कम में गठित समिति द्वारा दिनांक 20–09–2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23--09–2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है:–

1–वर्तमान में गार्बेज डाम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।

2--नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3–ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विकय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए 10 महीने के लिए एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।

4--उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0--3898/886/SBM /SWM /ली0वे0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5--पौड़ी में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं0–32 में 1.007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

6–वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिए भी निविदायें आमंत्रित की गई है, ताकि गार्बेज को उपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क से ही छंटाई के लिए ले जाया जाये। वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये हैं, जिसमें वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थाये की जा रही है, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनांवटन के लिए शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति/धनांवटन हेतु भेजी गई है। SWM के कियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है। तब तक वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ही उपरोक्तानुसार गार्बेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एस0पी0 जोशी)<br>अधिशासी अधिकारी<br>न0पा0परि0पौड़ी। | क्षेत्रीय अधिकारी,<br>उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड<br>देहरादून। | (दीपक रामचन्द्र शेट)<br>संयुक्त मजिस्ट्रेट<br>(वा0) पौड़ी। | (स्वप्निल अनिरूद्ध)<br>प्रभागीय वनाधिकारी,<br>गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी। |

107

9(6)

# ।। कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी।।

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

International Year of Cooperatives 2025

संख्या 127 / NGT 281 2024/2025–26 दिनांक अप्रैल, 19, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल

**विषय–** **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद सं 281/2024 में पारित अन्तरित आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 03 पर स्पष्टीकरण विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 218/21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 दिनांक 19 अप्रैल 2025 के सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0 123/2024 में मूल आवेदन सं0 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 02 एवम 03 के सम्बन्ध में कहना है कि:–

1. यह कि उपरोक्त वाद मे पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 02 के सम्बन्ध में कहना है कि पौड़ी शहर एक नगर पालिका परिषद है, और यहां पर नगर निगम नहीं है। यहां के प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी है। इस वाद में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा ही अनुपालन आख्या संयुक्त समिति के साथ जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से मा0 अधिकरण में दाखिल की गयी है। जिसकी पुष्टि उपरोक्त आदेश के बिन्दु न0 01 में मा0 अधिकरण द्वारा की गयी है। **(साक्ष्य संलग्न)**

2. यह कि पुनः अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के क्रम में जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 20–09–2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23–09–2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है।

- वर्तमान में गार्बेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जिसका 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इस सुरक्षा दीवार के बनने से उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा। **(निर्माणाधीन कार्य के फोटोग्राफ )**
- नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्डो में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से अनुबन्धित एजेन्सी के महिला कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है। **(फोटोग्राफ सलग्न)** ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विकय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए मैसर्स भगवती फील्ड प्राईवेट लिमिटेड ज्वालापुर हरिद्वार एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर विकय किया जा रहा है। जिससे वर्तमान तक रू0 1,30,440/– का ड्राई गार्बेज एजेन्सी के माध्यम से विकय किया गया है। **(विकय फोटोग्राफ संलग्न)**
- उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की, जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0–3898/886/SBM/SWM/सी0वी0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
- पौड़ी में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे सिरू रोड पर दाहिनी ओर उल्नी बीट न0–32 में 1.007 है0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

- वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक कच्चा मार्ग तैयार कर दिया गया है। अब उसी कच्चे मार्ग से गार्बेज के पृथकीकरण के पश्चात् कूड़े को ले जाया जा रहा है। इसके आलावा स्थल पर सी0सी0टी0 कैमरे भी लगाये गये हैं। ट्रेचिंग ग्राउण्ड में डोर टू डोर गार्बेज कलैक्शन एजेन्सी को हमेशा सुव्यवस्था तथा समय–समय पर ब्लीचिंग आदि छिडकने के निर्देश दिये गये हैं।
- मा0 अधिकरण के दिनांक 29.05.2024 को पारित आदेश के कम में पालिका द्वारा किये गये कार्यों की पुष्टि हेतु सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या यू0के0 पीसी0बी0 / एचओ0 / सा0–183–788 / 2024 / 1328 दिनांक 11.12.2024 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नेहरू कॉलोनी देहरादून को किये गये कार्यों का सत्यापन करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 17.12.2024 को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की टीम द्वारा सत्यापन निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा निरीक्षण आख्या में पालिका के द्वारा किये गये कार्यों की पुष्टि आख्या दी गयी है। **(निरीक्षण रिपोर्ट साक्ष्य संलग्न)**
- मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु स0 02 में उल्लेख किया गया है कि आयुक्त नगर निगम पौड़ी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पौड़ी एक नगर पालिका परिषद है। जनपद पौड़ी के अन्तर्गत केवल श्रीनगर / कोटद्वार नगर निगम हैं। दिनांक 08.01.2025 की संयुक्त जांच आख्या अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी के माध्यम से ही प्रेषित की गयी है, जिसे जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा अपने पत्र संख्या 321 / 21–प्रशा0अधि0 (स्था0नि0) / 2024–25 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा साक्ष्य सहित भेजा गया है। **(प्रतियां संलग्न हैं)**

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही हैं। और इसकी अनुपालन आख्या पालिका के अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, पौड़ी के संयुक्त मजिस्ट्रेट तथा गढवाल वन प्रभाग पौड़ी के प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा दिनांक 29.05.2024 को मौका स्थल पर संयुक्त निरीक्षण उपरान्त तैयार की गयी थी, जिसे जिलाधिकारी पौड़ी के पत्र संख्या 321 / 21–प्रशा0अधि0 (स्था0नि0) / 2024–25 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा अन्य साक्ष्यों सहित प्रेषित की गयी है। जिसकी पुष्टि मा0 अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 01 पर भी की गयी है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उपरोक्त तथ्यों को भेजे जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

**संलग्नकः– यथोक्त**

भवदीय

19.4.025

(एस0पी0 जोशी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

109

12

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा में,

परामर्शदाता(न्यायिक),
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली।

संख्याः 321 /21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024–25 दिनांक पौड़ी जनवरी 08 ,2025

विषयः– विधिक आवेदन सं0– 123/2024 में मूल आवेदन सं0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

—

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05–12–2024 को पारित आदेश जिसके द्वारा विधिक आवेदन सं0– 123/2024 में मूल आवेदन सं0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 29–05–2024 के अनुसार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

2– इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के कम में गठित समिति द्वारा दिनांक 20–09–2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23–09–2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई हैः–

1–वर्तमान में गार्बेज डाम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।

2–नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्डो में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3–ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विकय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए 10 महीने के लिए एजेन्सी को अधिग्रहित किया गया है, उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।

4–उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0–3898/886 /SBM/SWM/ली0वे0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5–पौड़ी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड पर दाहिनी आर उल्ली बीट नं0–32 में 1.007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है, इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

6–वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिए भी निविदायं आमंत्रित की गई है, ताकि गार्बेज को ऊपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सडक से ही छंटाई के लिए ले जाया जाये। वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये है, जिसमें वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

17

(110)

12(1)

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेंचिंग ग्राउण्ड मे उपरोक्त व्यवस्थाये की जा रही है, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अंतिम परीक्षण तथा धनावंटन के लिए शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति / धनावंटन हेतु भेजी गई है। SWM के क्रियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है, तब तक वर्तमान ट्रेंचिंग ग्राउण्ड मे ही उपरोक्तानुसार गार्बेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित विविध आवेदन स0–123 / 2024 मे मूल आवेदन स0– 281 / 2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संयुक्त अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

संलग्न–यथोपरि।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली।
2–सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Misc. Application in Disposed of Cases No.123/2024**

**In**

Original Application No.281/2024

Kishor Bahuguna ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF EXECUTIVE OFFICER MUNICIPALITY PAURI**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

1. That this Hon'ble tribunal vide its order dated 25.03.2025 had directed the Commissioner, Municipal Corporation Pauri to file compliance report to apprise the tribunal regarding further steps taken for compliance with the orders of this Tribunal.

2. That in compliance with the above direction of this Hon'ble Tribunal the present compliance report is being filed on behalf of Executive Officer Municipality Pauri to the effect that Pauri city has Municipal Council, and there is no Municipal Corporation here. The designation of the administrative officer here is Executive Officer Municipal Council Pauri. In this case, the compliance report has been filed by the Executive Officer Municipal Council Pauri itself with the Joint Committee through the District Magistrate Pauri in this Hon'ble Tribunal on 08.01.2025.

3. It is further submitted that in compliance with the order dated 29.05.2024 passed by this Hon'ble tribunal in Misc. Application no. 123/2024 inoriginal application no. 281/2024 KishorBahuguna vs. State of Uttarakhand, the garbage dumping site was inspected on 20-09-2024 by the committee constituted by the District Magistrate Pauri. Even after the earlier sent inspection report dated 23-09-2024, the following action has been taken in the present trenching ground from the municipality level.

4. That at present, due to the straight slope at the garbage dumping site, the lower part of the site is low so that the garbage may not fall down, the municipality had invited tenders for the construction of RCC protective wall. The work of construction of protective wall etc. has been started by the contractor, the 10% work of which has been completed. After the construction of this protective wall, when the width of the said site increases, then 01 MRF Center could also be built. Photocopy of photographs of the work under construction are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-1** (pg No. to ).

5. That a private agency has been engaged for collection of dry and wet garbage in the city. In all the 11 wards of the municipality, dry garbage is being collected in bags etc. through vehicles and footpaths through the female personnel of the contracted agency. Photographs of collection of garbage are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-2** (Pg. No. to ).

It is further submitted that M/s Bhagwati Field Private Limited JwalapurHaridwar Agency has been hired for making ingots from dry garbage

and sending them outside the city for sale by arranging compactor machine. They are making ingots from dry garbage and selling them. Through which, till date, dry garbage worth Rs. 1,30,440/- has been sold through the agency. Photographs of sale of ingots of dry garbage are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-3** (Pg. No. to ).

6. That at the current garbage disposal site, a kutcha road has been prepared till the trenching ground. Now the garbage is being taken through the same kutcha road after separation. Apart from this, CCTV cameras have also been installed at the site. Door to door garbage collection agencies have been instructed to always maintain order and sprinkle bleaching etc. from time to time at the trenching ground.

7. That for the confirmation of the work done by the municipality in accordance with the order passed by this Hon'ble Tribunal on 29.05.2024, by letter number UK PCAVA/HO/SA-183-788/2024/1328 dated 11.12.2024 of the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun,the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Nehru Colony, Dehradun, was directed to verify the work done. The verification inspection was done by the team of Uttarakhand Pollution Control Board on 17.12.2024, in which the confirmation of the work done by the municipality has been given by them in the inspection report. True copy of Inspection report dated 17.12.2024 by the team of Uttarakhand Pollution Control Board is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-4** (Pg. No. to ).

6. That under para no. 02 of the order dated 25.03.2025 of this Hon'ble Tribunal it has been mentioned that the compliance report has not been filed by the Commissioner Nagar Nigam Pauri. In this regard, it is humbly submitted from this Hon'ble Tribunal that Pauri is a Municipal Council. There are only Shrinagar/Kotdwar Municipal Corporation under the district Pauri. The joint inspection report has been sent on dated 08.01.2025 through the Executive Officer Municipal Council Pauri itself, which has been filed by the District Magistrate Pauri with evidence through his letter number 321/21-Administrative Officer (Local) / 2024-25 dated 08 January 2025. True copy of joint inspection report dated 08.01.2025 of Executive Officer Municipal Council Pauri is annexed herewith and marked as **<u>ANNEXURE R-5</u>** (Pg. No. to ). True copy of letter dated 08.01.2025 of District Magistrate Pauri is annexed herewith and marked as **<u>ANNEXURE R-6</u>** (Pg. No. to ).

Thus, in view of above submissions it is clear that arrangements referred in above paragraphs are being made by the Municipal Council Pauri in the present garbage trenching ground and its compliance report was prepared by the Executive Officer of the Municipality, Regional Officer of Uttarakhand Pollution Control Board, Joint Magistrate of Pauri and Divisional Forest Officer of Garhwal Forest Division Pauri after joint inspection on the spot on 29.05.2024 which has been sent along with other evidence/proofs by the letter number 321/21-Administrative Officer (-) / 2024-25 dated 08th January 2025 of the District Magistrate Pauri.

9. It is further humbly submitted that there is no municipal corporation in Pauri and nor here is appointed Commissioner. The answering respondent Executive Officer had submitted its report duly signed to the joint committee and such compliance report of executive officer Joint Magistrate, Uttarakhand Pollution Board, DFO has already been filed in this Hon'ble Tribunal by the Chairman of Committee /District MagistratePauri which is clear from para 1 of order of this Hon`ble Tribunal. Hence, the above non-compliance was not deliberate and intentional but the same has occurred under the above circumstances, hence the answering respondent with great respect apologizes for the inconveniences caused to the Hon'ble Tribunal under the above circumstances. It is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to discharge the notice issued against the answering respondent and recall the directions given under para 2 and 3 of its order dated 25.03.2025 and pass such other and further orders which will be appropriate in the interest of justice. The answering respondent undertakes and is duty bound to follow/comply with all further directions issued by this Hon'ble Tribunal in the matter in its letter and spirit.

10. That the facts stated in the above reply are based on the information derived from official record as such they true and correct as per personal knowledge and belief of the deponent. No part of same is false and nothing material has been concealed therefrom.

Respondent No

Through Counsel

# BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

## PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

### Misc. Application in Disposed of Cases No.123/2024

**In**

Original Application No.281/2024

KishorBahuguna ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand&Ors. ...Respondents

## AFFIDAVIT

I, Shanti Prasad Joshi aged about 56 years, E.O. Nagar Palika Parishad Pauri presently at New Delhi do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That the deponent is posted in above capacity as such he is fully conversant with the facts of the case as such is competent to swear in this affidavit.
2. That I have read the accompanying compliance report to the Misc. Appl. In disposed case No.123/2024 in O.A. No.281/2024 KishorBahuguna Vs State of Uttarakhand &Ors. filed by applicant and understood the contents thereof the same are true and correct as per my personal knowledge and belief.
3. That the Annexures accompanying are true and correct copies of their respective originals.

Deponent

## VERIFICATION:

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true and correct as per knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at New Delhi this the 5th day of April, 2025.

Deponent

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौ

NOTARIAL

NOTARIAL NOTARIAL

# BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

## PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

**Misc. Application in Disposed of Cases No.123/2024**

**In**

Original Application No.281/2024

KishorBahuguna ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand&Ors. ...Respondents

**INDEX**

| S.NO. | PARTICULARS | PAGES |
|---|---|---|
| 1 | Compliance Report on behalf of Executive Officer Municipality Pauri | 1 – |

| | |
|---|---|
| PLACE: New Delhi<br>DATE:<br>Copy to: | Filed by: |

118

# BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

## PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

**Misc. Application in Disposed of Cases No.123/2024**

**In**

Original Application No.281/2024

KishorBahuguna ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand&Ors. ...Respondents

PAPER BOOK

(FOR INDEX PLEASE SEE INSIDE)

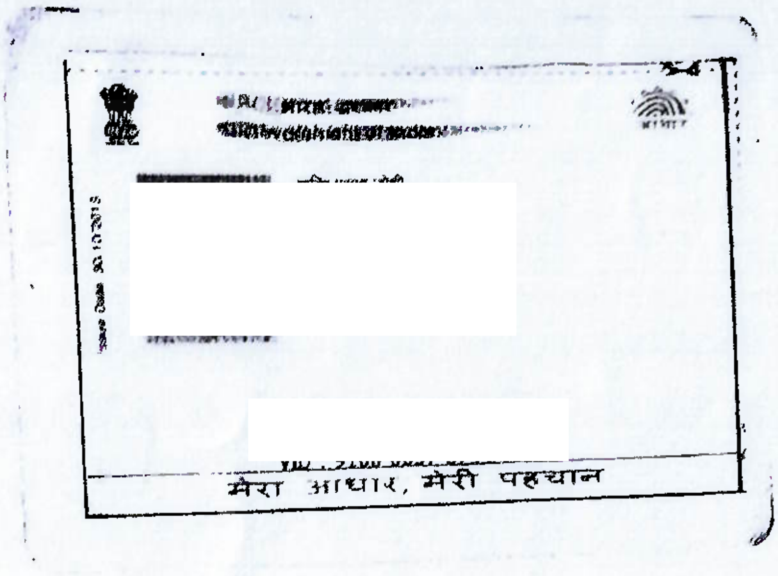
Issue Date 30.10.2013
मेरा आधार, मेरी पहचान

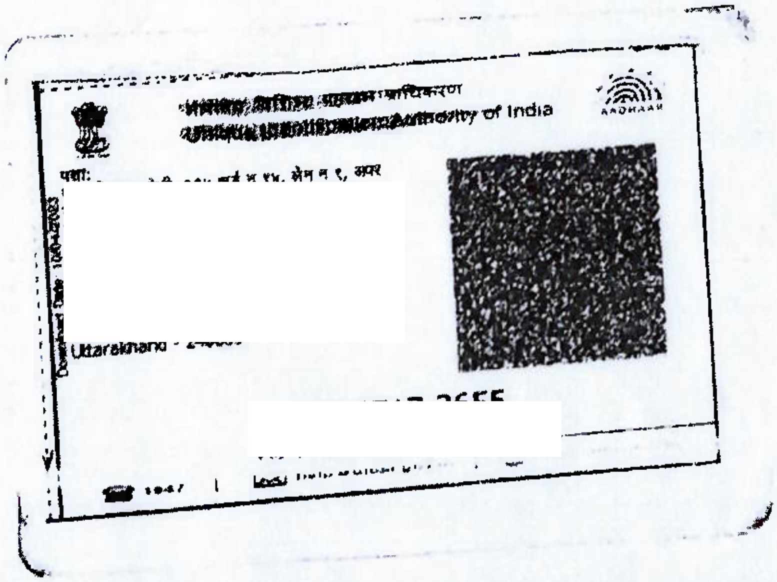
प्राधिकरण
Authority of India
पता:
Uttarakhand
1947

120

|| कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ||

Email id- dm garhwal@gmail.com Phone-01368222250, Fax-222080

संख्या: 255 /21–प्रशा०अधि०(स्था०नि०)/2024 दिनांक पौड़ी मई 09 ,2025

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
पौड़ी।

विषयः– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद सं०– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–3–2025 एवं 05–12–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

---

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं०– 218/21–प्रशा०अधि० (स्था०नि०)/2024 दिनांक 19–04–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद सं०– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–3–2025 एवं 05–12–2024 के अनुपालन न किये जाने पर आपको कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में आप द्वारा अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है। किन्तु उक्त प्रत्युत्तर में आप द्वारा स्पष्ट नही किया गया है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–12–2024 एवं दिनांक 25–03–2025 का अनुपालन क्यों नही किया गया।

अतः उक्त पत्र इस आशय से प्रेषित कि अवगत कराये कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद सं०– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–3–2025 एवं 05–12–2024 के अनुपालन क्यो नही किया गया। साथ ही अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

121

# ।। कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी।।

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

International Year of Cooperatives 2025

संख्या 127 / NGT 281-2024/2025–26 दिनांक अप्रैल, 19, 2025

R-121 2228

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल

**विषय–** **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद सं 281/2024 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 03 पर स्पष्टीकरण विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 218/21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 दिनांक 19 अप्रैल 2025 के सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0 123/2024 में मूल आवेदन सं0 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 02 एवम 03 के सम्बन्ध में कहना है कि:–

1. यह कि उपरोक्त वाद मे पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 02 के सम्बन्ध में कहना है कि पौड़ी शहर एक नगर पालिका परिषद है, और यहां पर नगर निगम नहीं है। यहां के प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी है। इस वाद में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा ही अनुपालन आख्या संयुक्त समिति के साथ जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से मा0 अधिकरण में दाखिल की गयी है। जिसकी पुष्टि उपरोक्त आदेश के बिन्दु न0 01 में मा0 अधिकरण द्वारा की गयी है। **(साक्ष्य संलग्न)**
2. यह कि पुनः अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के कम में जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 20–09–2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23–09–2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है।

- वर्तमान में गार्बेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जिसका 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इस सुरक्षा दीवार के बनने से उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा। **(निर्माणाधीन कार्य के फोटोग्राफ )**
- नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्डों में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से अनुबन्धित एजेन्सी के महिला कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है। **(फोटोग्राफ सलग्न)** ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विकय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए मैसर्स भगवती फील्ड प्राईवेट लिमिटेड ज्वालापुर हरिद्वार एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर विकय किया जा रहा है। जिससे वर्तमान तक रू0 1,30,440/– का ड्राई गार्बेज एजेन्सी के माध्यम से विकय किया गया है। **(विकय फोटोग्राफ संलग्न)**
- उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की, जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0–3898/886/SBM/SWM/ली0वे0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
- पौड़ी में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं0–32 में 1.007 है0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

- वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक कच्चा मार्ग तैयार कर दिया गया है। अब उसी कच्चे मार्ग से गार्बेज के पृथकीकरण के पश्चात् कूड़े को ले जाया जा रहा है। इसके आलावा स्थल पर सी0सी0टी0 कैमरे भी लगाये गये हैं। ट्रेचिंग ग्राउण्ड में डोर टू डोर गार्बेज कलैक्शन एजेन्सी को हमेशा सुव्यवस्था तथा समय–समय पर ब्लीचिंग आदि छिडकने के निर्देश दिये गये हैं।
- मा0 अधिकरण के दिनांक 29.05.2024 को पारित आदेश के कम में पालिका द्वारा किये गये कार्यों की पुष्टि हेतु सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या यू0के0 पीसी0बी0/एचओ0/सा0–183–788/2024/1328 दिनांक 11.12.2024 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नेहरू कॉलोनी देहरादून को किये गये कार्यों का सत्यापन करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 17.12.2024 को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की टीम द्वारा सत्यापन निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा निरीक्षण आख्या में पालिका के द्वारा किये गये कार्यों की पुष्टि आख्या दी गयी है। **(निरीक्षण रिपोर्ट साक्ष्य संलग्न)**
- मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु स0 02 में उल्लेख किया गया है कि आयुक्त नगर निगम पौड़ी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पौड़ी एक नगर पालिका परिषद है। जनपद पौड़ी के अन्तर्गत केवल श्रीनगर/कोटद्वार नगर निगम हैं। दिनांक 08.01.2025 की संयुक्त जांच आख्या अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी के माध्यम से ही प्रेषित की गयी है, जिसे जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा अपने पत्र संख्या 321/21–प्रशा0अधि0 (स्था0नि0)/2024–25 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा साक्ष्य सहित भेजा गया है। **(प्रतियां संलग्न हैं)**

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही हैं। और इसकी अनुपालन आख्या पालिका के अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, पौड़ी के संयुक्त मजिस्ट्रेट तथा गढवाल वन प्रभाग पौड़ी के प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा दिनांक 29.05.2024 को मौका स्थल पर संयुक्त निरीक्षण उपरान्त तैयार की गयी थी, जिसे जिलाधिकारी पौड़ी के पत्र संख्या 321/21–प्रशा0अधि0 (स्था0नि0)/2024–25 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा अन्य साक्ष्यों सहित प्रेषित की गयी है। जिसकी पुष्टि मा0 अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 25.03.2025 के बिन्दु सं0 01 पर भी की गयी है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उपरोक्त तथ्यों को भेजे जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

**संलग्नकः– यथोक्त**

भवदीय

19.4.025

(एस0पी0 जोशी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

**मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के कम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।**

मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के कम में गठित समिति द्वारा दिनांक 20–09–2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23–09–2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है:–

1–वर्तमान में गार्बेज डाम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।

2–नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3–ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विकय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए 10 महीने के लिए एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।

4–उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0–3898/886/SBM /SWM /ली0वे0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5–पौड़ी में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं0–32 में 1.007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

6–वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिए भी निविदायें आमंत्रित की गई है, ताकि गार्बेज को उपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क से ही छंटाई के लिए ले जाया जाये। वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये हैं, जिसमें वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थाये की जा रही है, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनांवटन के लिए शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति/धनांवटन हेतु भेजी गई है। SWM के कियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है। तब तक वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ही उपरोक्तानुसार गार्बेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एस0पी0 जोशी)<br>अधिशासी अधिकारी<br>न0पा0परि0पौड़ी। | क्षेत्रीय अधिकारी,<br>उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड<br>देहरादून। | (दीपक रामचन्द्र शेट)<br>संयुक्त मजिस्ट्रेट<br>(बा0) पौड़ी। | (स्वप्निल अनिरुद्ध)<br>प्रभागीय वनाधिकारी,<br>गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी। |

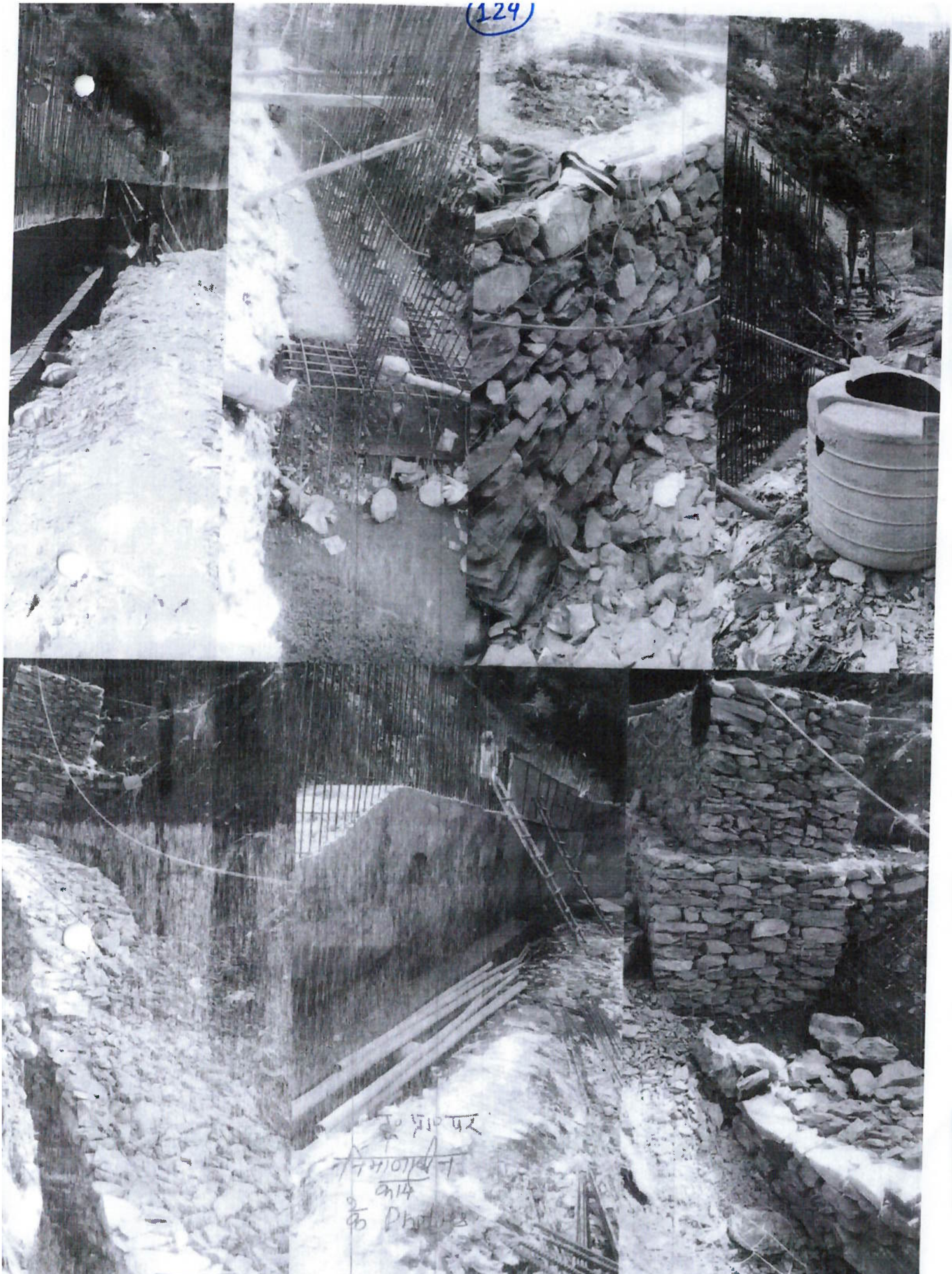

ग्राम पर
निर्माणाधीन
कार्य
के Photos

# कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या 933 / गारबेज प्रोसेसिंग / 2024–25 / दिनांक नवम्बर 30. 2024

मैसर्स भगवती फील्ड सर्विस प्रा0 लि0,
16, स्वर्गलोक सराय, ज्वालापुर,
हरिद्वार ।

विषयः– **नगर पालिका परिषद पौडी के पृथक तथा एकत्रित किये गये सूखे कूडे से प्रोसिंग करते हुये कौम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियॉ बनाना तथा उसे विकय किये जाने की कोटेशन स्वीकृति तथा कार्य आरम्भ किये जाने विषयक।**

उपरोक्त विषयक आमन्त्रित कोटेशन मे आपकी फर्म की कोटेशन न्यूनतम दर रू0 24,000/– (रू0 चौबीस हजार) प्रतिमाह (जी0एस0टी सहित) प्राप्त हुई है। कोटेशन समिति की संस्तुति पर प्रशासक महोदय द्वारा उपरोक्त दर अन्तिम रूप से दिनांक 26/11/2024 को स्वीकृत की गयी है। यह कार्य दिनांक 01 दिसम्बर 2024 से 10 माह की अवधि अर्थात माह सितम्बर 2025 तक के लिये स्वीकृत किया गया है। इस कार्यादेश जारी होने के पश्चात् दिनांक 01/12/2024 से आप नगर पालिका परिषद पौडी के पृथक तथा एकत्रित किये गये/करते हुये सूखे कूडे से प्रोसिंग करते हुये कॉम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियॉ बनाना तथा उसे विकय किये जाने की कार्यवाही निम्न शर्तों/नियमों के अधीन करना सुनिशचित करेंगे।

1. यह कि रू0 100/– का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय मे आकर अनुबन्ध करना।
2. कार्य आरम्भ करने की सूचना भी कार्यालय में देना सुनिशचित करेंगे।
3. माह में तैयार 100 सिल्लियों का ट्रांसपोटेशन का व्ययभार ऐजेन्सी का होगा तथा सिल्लियों की विक्रय राशि से 10 प्रतिशत राशि पालिका में जमा करनी होगी। तथा इसके पर्याप्त दस्तावेज तैयार किये जायेंगे तथा संरक्षित रखे जायेंगे।
4. रू0 50,000/– की जमानत कार्यालय में बन्धक करके जमा करनी होगी।
5. गारबेज का प्रथृकीकरण पालिका के कलैक्शन स्पोट तथा ट्रंचिंग ग्राउड पर किया जायेगा। वहॉ से इसे मजबूत बैग मे पालिका की पूर्व मे स्थापित कौम्पैक्टर मशीन के पास लाया जायेगा। सिल्लियॉ तैयार करने के पश्चात पालिका के स्टोर मे रखा जायेगा। परन्तु स्टोर मे 100 सिल्लियो से अधिक किसी भी दशा मे मान्य न होगा।
6. कौम्पैक्टर वाले स्थान पर केवल 02 सिल्लिया ही चालू कार्य मे रहेगी, वहॉ पर इससे ज्यादा सिल्लिया रखना प्रतिबन्धित होगा तथा बाहर कोई भी गारबेज नही डाला जायेगा।
7. ऐजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सिल्लियॉ बनाने का कार्य दिन की क्लोजिंग पर कौम्पैक्टर मशीन के अन्दर उत्तम दर्ज की साफ–सफाई करने के पश्चात ही कार्मिक को भेजा जायेगा।
8. पृथकीकरण के लिये ऐजेन्सी पूर्व मे डोर–टू–डोर का कार्य कर रही कम्पनी की भी सहायता लेगी और अपने कार्मिकों के माध्यम से भी यह कार्य करायेगी। बेहतर होगा कि ऐजेन्सी स्थानीय रैग पिकर को लिस्टेट कर उनसे स्थानीय स्तर पर एक निश्चित रकम तय कर कूड़ा ले लेवे।
9. कौम्पैक्टर मशीन पर होने वाला विधुत का व्यय पालिका द्वारा वहन किया जायेगा परन्तु कौम्पैक्टर की मरम्मत सम्बधित ऐजेन्सी के द्वारा की जायेगी।
10. सिल्लियो को मजबूत वायर से बॉधना होगा। प्रत्येक सिल्ली लगभग 60 कि0ग्रा0 से कम की नही होगी।

11. ऐजेन्सी को प्रतिमाह सिल्लियो 60 किग्राम तथा संख्या मे 100 होने पर ही भुगतान किया जायेगा। के आधार पर तथा उसकी दी गयी और पालिका से स्वीकार किये जाने वाली दर के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
12. ऐजेन्सी द्वारा सिल्लियो की बिकी की 10 प्रतिशत राशि पालिका मे जमा कर दिये जाने एवम लेखा/सफाई अनुभाग से पुष्टि हो जाने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
13. ऐजेन्सी को सफाई कार्य मे लागू , कर कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा।
14. इस कार्य से पौडी शहर की गन्दगी से निजात दिलाने का कार्य होगा। कार्य की सफलता से पौडी शहर मे पर्यावरणीय सन्तुलन मे बढोत्तरी होगी। कार्य से पौडी शहर की स्वच्छता की रैकिंग मे भी सुधार होगा और पौडी शहर एक साफ शहर तथा सुन्दर शहर बनाया जा सकेगा। कार्य से स्थानीय रैग पिकर्स यदि वह ऐजेन्सी के साथ काम करना चाहेगे तो उन्हे भी फायदा होगा और कार्य के विस्तारीकरण के पश्चात स्थानीय युवाओ को भी रोजगार मिल सकेगा। फर्म को अधिकार होगा कि वह स्थानीय स्वंय सेवी संस्थाओ से भी सहयोग ले सकेगी, परन्तु कार्य सबलेट नही किया जायेगा।
15. इस कार्य की अवधि अनुबन्ध की दिनाकं से 10 माह के लिये होगी। कार्य की सफलता के आधार पर इसे प्रथम बार 10 माह की अवधि तक के लिये बढाया जा सकेगा।
16. कार्य मे लापरवाही अथवा दुषपरिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा मे यह अनुबन्ध 15 दिनो के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल ऐजेन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा।
17. ऐजेन्सी के द्वारा यदि समय से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरे प्राप्त की जायेगी, अथवा इन्ही न्यूनतम दरो पर किसी अन्य ऐजेन्सी से कार्य लिया जा सकेगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी
18. कार्य मे लापरवाही अथवा दुष्परिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा मे यह अनुबन्ध 15 दिनो के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल ऐजेन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. ऐजेन्सी के द्वारा यदि अनुबन्ध अवधि से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरे प्राप्त की जायेगी।
20. यह कार्य उपरोक्त शर्तो तथा सम्पादित होने वाले अनुबन्ध के आधार पर निष्पादित किये जायेगा, परन्तु भवष्यि मे यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रथम दोनो पक्ष आपस मे विवाद को निपटायेगे । किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर विवाद का न्यायालय क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र पौडी रहेगा।

अतः कृपया उपरोक्त शर्तो के अनुसार कार्यवाही एवम कार्य करना सुनिशचित करे।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

पत्र स0 व दिनाकं –तदैव–
**प्रतिलिपीः– सूचनार्थ प्रेषित।**
1– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, पौडी ।
2:– संयुक्त मजिस्ट्रेट/प्रशासक, नगर पालिका परिषद पौडी ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

अधिशासी अ

Door to Door garbage Collection & Segrigation

पौड़ी शहर में Door to Door
garbage Collection & Segrigation

129

GSTIN : 05AAJCBS519M1Z9 Mob. 9756090274

# Bhagwati Field Service Pvt. Ltd.

Deals in : Labour Supply, Door to Door Collection & Contractor

H. No. 16, Swarnlok, Sarai, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand-249404

Date. 03/4/2025

सेवा में

अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद पौड़ी गढवाल

जनपद पौडी गढवाल

विषयः— **दिसम्बर माह में ड्राइगारवेज से सिल्लियों बनाये जाने का बिल भुगतान हेतु।**

महोदय,

पालिका के अनुबन्ध के क्रम में हमारे द्वारा लगातार कूडे का सैग्रीगेशन कर कम्पैक्टर मशीन से सिल्लियों बनायी जा रही है। दिसम्बर माह के कूड़े की सिल्लियों एवं धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :—

| क्र0 स | माह का विवरण | सिल्लियों का कुल भार | विक्रय राशि | परिवहन किराया | अनुबन्धनुसार पालिका में जमा राशि (10 प्रतिशत) दिनांक का विवरण | | अनुबन्धनुसार ऐजेन्सी का देय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दिनांक | धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | दिसम्बर 2024 | 60x35=2100 | 25200.00 | 6000.00 | 30-01-2025 | 1920.00 | 25000.00 |

अनुबन्ध के आधार पर विक्रय मूल्य का 10%, रुपये 2520/—

S.I.

For Bhagwati Field Services Private Limited

Pramod S.

Director

(130)

GSTIN : 05AAJCB8519M1Z9

Mob. 9756090274

# Bhagwati Field Service Pvt. Ltd.

Deals in : Labour Supply, Door to Door Collection & Contractor

H. No. 16, Swarnlok, Sarai, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand-249404

Date 03/4/2025

सेवा में,

अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल

जनपद पौड़ी गढ़वाल

**विषयः— जनवरी माह में ड्राइगारवेज से सिल्लियों बनाये जाने का बिल भुगतान हेतु।**

महोदय,

पालिका के अनुबन्ध के क्रम में हमारे द्वारा लगातार कूड़े का सैग्रीगेशन कर कम्पैक्टर मशीन से सिल्लियों बनायी जा रही है। जनवरी माह के कूड़े की सिल्लियों एवं धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :--

| क्र0 सं | माह का विवरण | सिल्लियों का कुल भार | विक्रय राशि | परिवहन किराया | अनुबन्धनुसार पालिका में जमा राशि (10 प्रतिशत) दिनांक का विवरण | | अनुबन्धनुसार ऐजेन्सी का देय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दिनांक | धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | जनवरी 2025 | 60x35=2100 | 25200.00 | 6000.00 | 30-01-2025 | 1920.00 | 25000.00 |

अनुबन्ध के आधार पर विक्रय मूल्य का 10%; रुपये 2520/—

S.I.
Please resubmit with file.
4/4/025

For Bhagwati Field Services Private Limited

Pramod
Director

131

GSTIN : 05AAJCB8519M1Z9 Mob. 9756090274

# Bhagwati Field Service Pvt. Ltd.

Deals in : Labour Supply, Door to Door Collection & Contractor

H. No. 16, Swarnlok, Sarai, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand-249404

Date 03/4/2025

सेवा में,

अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल

जनपद पौड़ी गढ़वाल

**विषयः— फरवरी माह में ड्राइगारवेज से सिल्लियों बनाये जाने का बिल भुगतान हेतु।**

महोदय,

पालिका के अनुबन्ध के क्रम में हमारे द्वारा लगातार कूडे का सैग्रीगेशन कर कम्पैक्टर मशीन से सिल्लियों बनायी जा रही है। फरवरी माह के कूड़े की सिल्लियों एवं धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :—

| क्र0 सं | माह का विवरण | सिल्लियों का कुल भार | विक्रय राशि | परिवहन किराया | अनुबन्धनुसार पालिका में जमा राशि (10 प्रतिशत) दिनांक का विवरण | | अनुबन्धनुसार ऐजेन्सी का देय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दिनांक | धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | फरवरी 2025 | 60x90=5400 | 64800.00 | 17000.00 | 04-03-2025 | 4780.00 | 25000.00 |

अनुबन्ध के आधार पर विक्रय मूल्य का 10% रूपये 6480/—

S.I.

For Bhagwati Field Services Private Limited

Director

132

GSTIN : 05AAJCB8519M1Z9

Mob. 9756090274

# Bhagwati Field Service Pvt. Ltd.

Deals in : Labour Supply, Door to Door Collection & Contractor

H. No. 16, Swarnlok, Sarai, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand-249404

Date. 03/4/2025

सेवा में,

अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद पौड़ी गढवाल

जनपद पौड़ी गढवाल

**विषयः— मार्च माह में ड्राइगारवेज से सिल्लियों बनाये जाने का बिल भुगतान हेतु।**

महोदय,

पालिका के अनुबन्ध के क्रम में हमारे द्वारा लगातार कूडे का सैग्रीगेशन कर कम्पैक्टर मशीन से सिल्लियों बनायी जा रही है। मार्च माह के कूड़े की सिल्लियों एवं धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :—

| क्र0 सं | माह का विवरण | सिल्लियों का कुल भार | विक्रय राशि | परिवहन किराया | अनुबन्धनुसार पालिका में जमा राशि (10 प्रतिशत) दिनांक का विवरण | | अनुबन्धनुसार ऐजेन्सी का देय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दिनांक | धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | मार्च 2025 | 60x82=4920 | 59040.00 | 14000.00 | 01-04-2025 | 4504.00 | 25000.00 |

अनुबन्ध के आधार पर विक्रय मूल्य का 10% 5904—00

S.I.

Put up with concern file. With Report.

04/4/2025
E.O

For Bhagwati Field Services Private Limited

Pramod
Director

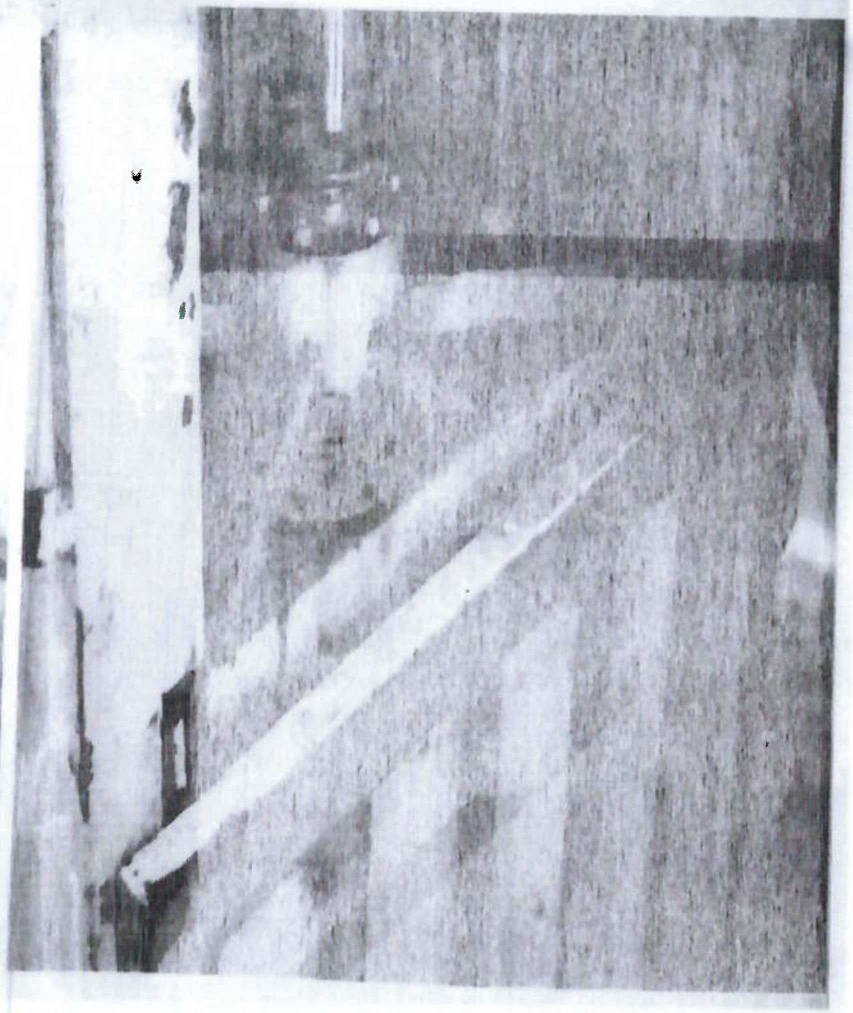

134

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेली फोन नं.–0135–3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/एन0जी0टी0–111 /2024–25/3011 – 1550 दिनांक 21/12/24

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 व बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा–183–788/2024/1328 दिनांक 11.12.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, पौड़ी का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.12.2024 को किया गया। नगर पालिका पौड़ी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम का अनुपालन की अद्यतन स्थिति का विवरण निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

21/12/2024

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

विषय:– एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में दिनांक 17.12.2024 को निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रकरण ग्राम सिमली/पौड़ी, नई विकास कॉलोनी, जिला पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं–119 में नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में इस कार्यालय एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 17.12.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया आख्या निम्नवत् है–

1. वर्तमान गारबेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गारबेज को नीचे न जाये। पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार लम्बाई 60 मी0 ऊंचाई 10.5 मी0 का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा दीवार की फाउण्डेशन की खुदाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि निरीक्षण में मौके स्थल पर भी हुई है। कार्य आदेश एवं स्थल के फोटोग्राफ संलग्न हैं। (संलग्न) सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जाना प्रस्तावित है।
2. नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिये एक प्राइवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहनों के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गारबेज एकत्रिकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं। (संलग्न)
3. ड्राई गारबेज से सिल्लियां बना कर शहर से बाहर विक्रय के लिये भेजे जाने हेतु कॉम्पैक्टर मशीन की स्थापना की गयी है। नगर पालिका द्वारा ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है। इनसे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं। (संलग्न)
4. उपरोक्त ट्रैचिंग ग्राउण्ड स्थल पर 7,636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गयी थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र संख्या–3508/686/SBM/SWM/ ली0वे0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर, 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति अधिशासी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय उपलब्ध करायी गई है। (संलग्न) पत्र में लीगेसी वेस्ट का स्थान त्रुटिवश माण्डाखाल लिखा गया है, इसके सम्बन्ध में निदेशालय को दूरभाष पर संशोधन हेतु अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त संशोधन हेतु भी पत्र भेजा जा रहा है।
5. पौड़ी नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं–32 में 1.007 है0 भूमि हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण की कार्यवाही प्रस्तावित है।
6. वर्तमान में गारबेज निस्तारण स्थल पर ट्रैचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिये भी निविदायें आमन्त्रित की गयी हैं। ताकि गारबेज को ऊपर से न डाल कर निर्मित होने वाली सड़क से ही छटाई के लिये ले जाया जाये। इस कार्य में पत्थरों का खड़ंजा सड़क निर्माण का प्राविधान किया गया है, जिसमें 300 मी0 लम्बाई तथा 3.65 मी0 चौड़ाई की सड़क खुदाई/ड्रेसिंग का कार्य हो चुका है। 150 मी0 पैदल रास्ता और भी बनाया जाना अवशेष है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।
7. वर्तमान में ट्रैचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिया गये हैं एवं नगर पालिका से जनित ठोस अपशिष्ट का पृथ्थकरण किया जा रहा है। उपरोक्त निरीक्षण के समय नगर पालिका पौड़ी द्वारा किये जा रहे कार्यों का सत्यापन किया गया।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

| | |
|---|---|
| (एस0एस0 चौहान) | (अमित पोखरियाल) |
| सहा0वैज्ञा0अधिकारी | क्षेत्रीय अधिकारी |
| उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून | उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून |

136

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा मे,

परामर्शदाता(न्यायिक),
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली।

संख्याः 321 /21–प्रशा0अभि0(स्था0नि0)/2024–25 दिनांक पौड़ी जनवरी 08, 2025

विषयः– विधिक आवेदन सं0– 123/2024 में मूल आवेदन स0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05–12–2024 को पारित आदेश जिसके द्वारा विधिक आवेदन स0– 123/2024 मे मूल आवेदन स0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 29–05–2024 के अनुसार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

2– इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 20–09–2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23–09–2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है:–

1–वर्तमान में गार्बेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज का नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौडाई बढ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।

2–नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्डो में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3–ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विक्रय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए 10 महीने के लिए एजेन्सी को अधिग्रहित किया गया है, उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।

4–उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0–3898/886 /SBM/SWM/ली0वे0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5–पौड़ी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं0–32 में 1.007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है, इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

6–वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेंचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिए भी निविदाये आमंत्रित की गई है, ताकि गार्बेज को ऊपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क से ही छटाई के लिए ले जाया जाय। वर्तमान ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये है, जिसमें वर्तमान ट्रेंचिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

(157)

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही है, लीगसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनावंटन के लिए शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति /धनावंटन हेतु भेजी गई है। SWM के कियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है, तब तक वर्तमान ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में ही उपरोक्तानुसार गार्बेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित विविध आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संयुक्त अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

संलग्न–यथोपरि।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली।
2–सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

138

|| कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ||
Email id- dm garhwal@gmail.com Phone-01368222250, Fax-222080

संख्याः 218 /21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 दिनांक पौड़ी अप्रैल 19 ,2025

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
पौड़ी।

// कारण बताओ नोटिस //

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन सं0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 25–03–2025 को पारित आदेश में उल्लेख किया है कि आदेश दिनांक 05–12–2024 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल द्वारा दिनांक 08–01–2025 के अनुपालन में रिपोर्ट दाखिल की गई। रिपोर्ट में उन सुधारात्मक उपायों का सन्दर्भ दिया गया जो कि अभी तक नगर निगम द्वारा नही किये गये है।

2– मा0 प्राधिकरण द्वारा आदेश में उल्लिखित किया गया है कि नगर निगम पौड़ी द्वारा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नही की गई है। अनुपालन आख्या दाखिल न करने का कोई वैध औचित्य नही मिला, जिस कारण मा0 प्राधिकरण द्वारा आदेशित किया गया है कि "आयुक्त, नगर निगम पौड़ी को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाय कि क्यों न उन्हे गिरफ्तार करके और सिविल जेल में निरूद्ध करके इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन किया जाय और क्यों न उन्हें हिरासत में लिया जाय। मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल और आयुक्त नगर निगम पौड़ी को आगे की अनुपालन आख्या दाखिल करने और अगली सुनवायी की तिथि पर न्यायाधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में उठाये गये कदमों के बारे में न्यायाधिकरण को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये है।"

अतः कारण स्पष्ट करें कि मा0 प्राधिकरण को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 08–01–2025 में उल्लिखित सुधारात्मक उपायो पर आपके द्वारा किये गये सुधारात्मक उपायो की आख्या अभी तक मा0 प्राधिकरण को क्यों प्रेषित नही की गई है। अपना लिखित प्रत्युत्तर तीन दिन अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। क्यों न आपके विरूद्ध मा0 प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाय।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।